Haryana Vidhan Sabha

Debates

25th July, 1968

Vol. I—8

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 25the July, 1968

	Page
Starred Questions and Answers	1
Unstarred question and Answers	23
Short Notice question and Answers	36
Question of Privilege	40
Call Attention Notics	41
Resolution:—	
regarding amending the Hindu Succession Act, 1956 enabling a daughter to inherit in her husband's or father-in-law's property instead of claminga share in the property of ther parents (Not concluded).	43—70
Annexure	i—ii

ERRATA

TO

HARYANA VIDHAN SABHA

DEBATES VOL. I No. 8, DATED THE 25TH JULY, 1968

Read	For	Page	Line
Under	Under	(8)10	16 from below
Under	Under	(8)10	4 from below
H.R.W.	H.W.R.	(8)11	Sr. No. 69 col. 3
before 'की सरकार		(8)15	11th from below
before	before	(8)17	ditto
वाटर लाग्ड	वाटर लैंड	(8)19	20
the	the	(8)24	heading
House	House	(8)32	1st line Sr. No. 14
Shrimati	Shri	(8)34	1st line Sr. No. 8
कैटेगैरिकल	केटगैरीकल	(8)38	15the from below

Khurshed	Khursed	(8)42	16 heading
Succession	Sucession	(8)43	18
समझता	समझता	(8)44	9th from below
कि	के	(8)48	2
प्री–सपोज	प्रिस्सपोज	(8)51	24
डिप्टी	डिप्टी	(8)54	34
बहनों	बहनें	(8)59	21
कानून	कानून	(8)59	33
के	को	(8)59	33
अलहदा	अललाहिदा	(8)60	33
असैम्बली	असम्बली	(8)61	11
इनके	के	(8)61	12
वैलफेयर	वलफेयर	(8)61	21
डैफिनीशन	डैफिनीशन	(8)61	30
को	का	(8)62	34
माडू सिंह	माडू सिंह	(8)63	6

“	“	“	15
“	“	(8)64	1
कानून	कानून	(8)70	1

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, the 25th July, 1968

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, VidhanBhavan Chandigarh, at 9-30 A.M. of the Clock, Mr. Speaker (Bri. Ran Singh) in the Chair

STARRED QUESTION AND ANSWERS

Demand of the Haryana Subordinate Service Federation

*24 **Shri Mangal Sein:** Will Chief Minister be pleased to state

(a) The demands, if any, made so far by the Haryana Subordinate Services Federation ;

(b) Whether any efforts were made by the Government to consider the demands referred to in part (a) above, if so, the details thereof?

Shri Bansi Lal: The requisite information is laid on the Table of House.

STATEMENT

Yes. On the 12the December, 1967 the Haryana Subordinate Services Federation submitted Memorandum to Government containing the following ten demands:—

(i) Grant of dearness all owance at central Government rates with effect form 1st May, 1967 along with the acceptance of the recommendations of Gajendragadkar Commission from the same date.

(ii) Implementation of Recommendations of Kothari Commission in respect of Haryana teachers.

(iii) Setting up of pay commission headed by an eminent Jurist.

(iv) Implementation of agreement entered by Government with Haryana Roadways workers.

(v) Setting up of Negotiating Body on the Pattern of Whitly Council in U.K.

(vi) Unconditional House rent to Government employees throughout the state.

(vii) Exemption from Professional Tax levied by Panchayat Samities.

(viii) Granting of Trade Union Rights to Government employees.

(ix) Educational and Medical facilities at par with Central Government employees.

(x)No retrenchment without providing alternative jobs under the state Government in these hard days of living conditions.

Action was taken on these demands as indicated below:—

Demand No. (i) Dearness allowance was increased with effect from the 1st June, 1967, the 1st December, 1967 and the 1st January, 1968 bringing total dearness allowance at par with that admissible to the Central Government employees. It was however, not possible to allow it from 1st May, 1967 because of the difficult financial position of the State.

Demand No. (ii) The recommendation of the Kothari Commission in respect of teacher were implemented with effect from 1st December, 1967.

Demand No. (iii) A pay revision committee had already been constituted and therefore it was not considered necessary to appoint a pay commission.

Demand No. (iv) The various terms of the agreement between the Management and the Haryana Roadways workers have been implemented. It may be added that the question of the quantum of bonus admissible to the Haryana Roadways workers was referred for adjudication to

	the industrial tribunal, who gave its aware against the workers.
Demand No. (v)	During Presidential Rule , this demand was accepted in principle, Before, however, further action could be taken to set up the joint consultative machinery, the employees went on the strike on two occasions and subsequently resorted to hunger-strike in batches. It was considered that in this atmosphere of agitation, the setting up negotiating bodes would not achieve the desired purpose.
Demand No. (vi)	The matter is under consideration of Government.
Demand No. (vii)	The demand was rejected because it was not considered desirable to draw distinction between Government employees and private citizens in the matter of payment of professional tax.
Demand No. (viii)	This demand is contradictory to demand No. (v) and cannot be allowed.
Demand No. (ix)	Educational and medical facilities available to the Haryana Government employees. The representative of the employees were requested to give any instance(s) where the facilities were

different but no intimating has been received from them so far.

Demand No. (x) The general policy of the Government already is that retrenchments should not be made without provding alternative jobs to the employees concerned.

श्री मंगल सैनः क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि इन मांगों को लेकर जिन सरकारी कर्मचारियों ने तीन महीने से ज्याद भूख हड़ताल की क्या उनकी उन मांगों को मानने का सरकार विचार रखती है?

मुख्य मंत्रीः सरकार हर जायज बात पर विचार करती है।

श्री फतेह चंद विजः मै पूछना चाहता हें कि जिन प्राइवेज स्कूलों ने इन रिकमैडेशन्ज पर अभी तक कोई कार्यवाही नही की और ग्रेड देने से इन्कार किया है। उसके बारें में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

मुख्य मंत्रीः इसके लिये आप सैपरेट नोटिस दें।

श्री मंगल सैनः मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया है कि सरकार हर जायज बात पर विचार करने के लिये तैयार है तो मै जानना चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों की यह मांगे जायज है या नजायज है?

मुख्य मंत्रीः स्पीकर साहिब, यह तो सप्लीमैटरी नही बनता है वैसे तो जायज मांग थी वह मान ली गई और भी जो जायज बात होगी उस पर गौर किया जा सकता है।

Mr. Speaker: It is matter of opinion.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिब, इन्होने कहा है कि जो जायज बात होगी वह मान लेगे ओर उस पर मैने य स्पैसिकि सवाल पूछा है जा कि इन के जवाब से पैदा हेाता है और रैलेवैंट है कि क्या उनकी मांगे जायज है या नही है?

मुख्य मंत्रीः यह जो स्टेटमैंट रखी गई है इसमें सब जवाब दे दिया गया है।

श्री फतेह चंद विजः स्पीकर साहिबा, मैने कोठरी कमीशन की सिफारिशात पर अमल नही किया उनके बारें में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। अभी तक सरकार के पास लिस्ट नही है। कि जिन स्कूलों ने सिफारिशत को मानने से इन्कार कर दिया और ग्रेड नही दिया है। यह कहते है कि.....
.....

मुख्य मंत्रीः यह तो कर्मचारियों की मागों के बारें में सवाल है। आप अपने इस सवाल कस सैपरेट नोटिस दें मालूम करके बता दिया जाएगा।

श्री मंगल सेनः क्या मुख्य मंत्री जी मानते है कि पंजाब के कर्मचारियों को जो पंजाब सरकार एमौलूमैंटस दे रही है वही हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को भी दिए जाने चाहिए?

मुख्य मंत्रीः जी नही, मै पंजाब के प्रिसिपल को नही मानता। पंजाब अलग प्रांत है और हरियाणा अलग प्रांत है।

श्री मंगल सैनः उन की मांग नम्बर एक के जवाब में कहा गया है कि पहली जून से सैट्रल डी.ए. दे दिया गया है। लेकिन उनकी मांग थी कि पहली मई से दिया जाए, दूसरे डी.ए. दिया गया जनवरी, 1968 से लेकिन उनकी मांग थी कि उससे पहले से दिया जाए जैसे पंजाब में मिला है। क्या सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार है?

मुख्य मंत्रीः जी नही।

श्री फतेह चन्द विजः मांग नम्बर तीन के जवाब में कहा गया है कि कमेटी बना दी गई है। इस बारें में मै पूछना चाहताा हूं कि इस कमेटी को किस तारीख तक रिपोर्ट करने के लिये कहा गया है?

मुख्य मंत्रीः जब उनका काम खत्म हो जाएगा वह रिपोर्ट दे देंगे।

श्री मंगल सैनः क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि इस कमेटी के कौन कौन मेम्बर है?

मुख्य मंत्री: इन की डिटेल्ज मेंरे पास नही है अगर सैपरेट नोटिस देंगे तो बात देगे।

श्री मंगल सैन: स्पीरक साहिब, यह बड़ा रैलवैंट सवाल है। इन्होने कहा है कि कमेटी बना दी गई है, मै जाननाचाहता हूं कि उसे मैंबर कौन कौन है? आया उसमें कर्मचारियों का भी कोई प्रतिनिधि है या दूसरे सरकारी आदमी ही है?

Mr. Speaker: The hon. Members may give separate notice for the question.

Shri Mangal Sein: Sir, in reply to demand No. (v) it has been stated: "During presidential rule, this demand was accepted in principle. Before, machinery, the employees went on strike on two occasions and subsequently resorted to hunger-strike in batches. It was considered that in this atmosphere of agitation, the setting up of negotiation bodes would now achieve the desired purpose.

मै पूछना चाहता हूं कि अब जब कि ऐजीटेशन का एटमौसफियर खत्म हो गया है। और इनकी ऐशोरैंस से उन्होने ऐजीटेशन विदड्रा कर ली है तो क्या सरकार ज्वायंट कन्सलटेटिव मशीनरी बनाने के लिये तैयार है?

मुख्य मंत्री: अगर जरूरत होगी तो सरकार कमेटी बना देगी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिाब, यह बड़ा वग जवाब है कि अगर जरूरत होगी.....

Mr. Speaer: In other workds the matter is under consideration.

श्री मंगल सैनः इतनी बात कह दे तो ठीक लेकिन यह तो अगर मगर की बातें करते हे। मै पूछना चाहता हूं कि यह जो सरकारी कर्मचारियों ने मांग नम्बर पांच में रखी है। क्या उसक बारें में हरियाणा सरकार यह महसूस करती है कि ज्वायंट कनसलटेटिव मशीनरी बनाई जाए?

मुख्य मंत्रीः यह पालिसी मैटर की बात है और क्वैश्चन में नही पूछी जा सकती है।

श्री मंगल सैनः आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मै स्पीकर साहिबा आपका रूलिग चाहता हूं कि क्या इस हाउस के मेम्बरान को पालिसी मैटर पर सवाल पूछने का अधिकार है या नही?

मुख्य मंत्रीः बजट में पूछ सकते है क्वैश्चनमें नही।

Mr. Speaker: I invite your attention to rule 46 which reads as under:-

]

* * * * * * * * *

“46. (13) it shall not raise questions of policy too large to be dealthwith the limits of an answer and maters for dealing with which the rules provide a more convenient method.?

I do feel this is a very important matter and it does require considerable thought before he could answer such questions.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिब, जो आपने कहा मै उसे मानता हूं, लेकिन आप मुख्य मंत्री जी से कह दें कि इस पर डियू कनसिड्रेशन करके इसी सैशन के दौरान में इस बात का जवाब दे दें।

Mr. Speaker: This is an important matter and it does receive due attention of the Chief Minister. So, it goes without saying that it is receiving the attention of the Government.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिबा, कुछ बातें ऐसी होती है जो नारमल ढंग में हो जाती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिनकों पूछने का इस हाउस को पूरा पूरा अधिकर है। पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी के अन्दर हाउस को यह प्रिविलेज है कि गवर्नमैंट पालिसीज के बारें मैं पूछ सकता है। मुझे बड़ी हैरान होती है कि जब आनरेबल मुख्य मुत्री यह जवाब देते है कि आप पालिसीज के बारें में नही पूछ सकते।

Mr. Speaker: I have already given my ruling on this point. That, I think, should satisfy the honorable Member.

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहिबा, इन्होने डिमांड नम्बर 6 के बारें में लिखा है कि गौर हो रही है। मै पूछना चाहता हूं कि इसकी कोई लिमिट भी है, कब तक यह मैटर कंसिडर करते रहेंगे?

मुख्य मंत्री: यह एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनिएंस के हिसाब से होता है।

श्री मंगल सैन: क्या इसकी कोइ लिमिट भी होती है या अनन्तकाल तक चलता रहता है? जहां पर बवाब देकर ही आदमी सेटिस्फाईड नही हो जाता, इसके लिय कंस्ट्रक्टिव स्टैप्स उठाने होते है। यह तो 95 हजार एम्पलाईज के फ्यूचर का सवाल जहै। इस तकर लुकने छिपने वाले जवाबा नही देने चाहिए।

Mr. Speaker: It appears to me that the honorable. Members is getting the answers he deserves. As a matter of fact, he should not exaggerate questions like this. After all, the present government has been in existence for hardly two months. It should be given chance and I expect the honorable Member to be reasonable

श्री मंगल सैनः गवर्नमैंट तो कभी खत होती ही नही, चाहे पापुलर गवर्नमैट हो चाहे दूसरी गवर्नमैट हो। गवर्नमैट तो हमेशा रहती है।

श्री मंगल सैनः मैने कोई ऐसी बात नही की, जो बात मुख्य मंत्री साहिब के जवाब से पैदा हुई, वही कही। अगर आज इजातत नही देते तो मै बैठ जाता हूं।

Members of the Haryana Subordinate Service Federation arrested in the State

***25 Shri Mangal Sein:** Will the Chief Minister be pleased to state the number and names of the members of the Haryana subordinate services federation arrested so for together with the names of the employees who resorted to hunger strike and the conditions, if any, accepted by the Government for getting the said hunger-strike called off?

Shri Bansi Lal: The requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Number of H.S.S.F members arrested-101.

(b) Name of H.S.S.F. members arrested-Appendix “B”.

(c) Names of employee who resorted to hunger strike:—

1. Shri Ram Avtar, Assistant, Office of the Chief Engineer. Public Health, Haryana, Chandigarh.

2. Shri Roshan Lal, Mechanic, Haryana Roadways, Ambala

3. Shri Balwant Rai Goel, Irrigation Department, Kaithal, District Karnal.

4. Shir Brij Mohan, Teacher, Naraingarh. District Ambala.

5. Shri Amin Chand, Patwari, Irrigation, Narwana, District Jind.

6. Shri Sunder Singh, Instructor, I.T.I. Ambala.

7. Shri Gurmukh Singh, Driver, Haryana Roadways. Ambala.

8. Shri Ram Sarup, Teacher, President, H.S.S.F., Loharu Unit, District Hissar.

9. Shri Wishwa Mitter, Assistant F.D., Civil Secretariat, Chandigarh.

10. Shri Bala Ram Daftri Office of Chief Engineer, Irrigation (H), Chandigarh.

11. Shri P.N. Sood, Assistant Civil Secretariat, Chandigarh.

12. Shri Sohan Lal, Teacher, President, Government Teachers Union, Hissar.

13. Shri S.R. Bakshi, Assistant, Food and Supplies Office. Haryana, Chandigarh.

14. Shri Avtar Singh, Clerk, D.E.O. Office, Ambala.

(b) Conditions, if any accepted by the Government for getting the said hunger stricke called off-Nil

APPENDIX 'B'

List of cases registered in Haryana state during H.S.S.F. agitation and names of persons arrested

1.	Om Parkash Arora, conductor	H.R.W., Rohtak	Case FIR No. 37, dated 8the February, 1968 under section 2 security of state act of 53, 120-B 360/440 IPC, P.S. City Rohtak
2.	Jagdish Lal, Fitter	Ditto	Ditto
3.	Giani Ram, Sweeper	Ditto	Ditto
4.	Om Parkash, Asstt. Tyreman	Ditto	Ditto
5.	Hardeep singh, Carpenter	Ditto	Ditto
6.	Bhim Singh, Mechanic	Ditto	Ditto
7.	Radhe Sham Welder	Ditto	Ditto
8.	Amar Nath Helper	Ditto	Ditto

9.	Roshan Lal Helper	Ditto	Ditto
10.	Om Parkash, Electrician	Ditto	Ditto
11.	Som Nath, Fitter	Ditto	Ditto
12.	Nebh Raj, Fitter	Ditto	Ditto
13.	Thakar Lal, Asstt. Fitter	Ditto	Ditto
14.	Mangat Ram, Clerk	Ditto	Ditto
15.	VgunSingh, Driver	Ditto	Ditto
16.	Jaswant Singh, Driver	Ditto	Ditto (Also see Serial No. 36 and 83 below).
17.	Jaidev Singh, Vice President, H.S.S.F. Unit, Rohtak		Case FIR No. 38 under section 188 I.P.C., dated 8th February, 1968, P.S. City Rohtak.
18.	Shankder Lal, Teacher, Government H.S., Sirsa, President, H.S.S.F. Unit, Sirsa.		Under section 107/151 Cr. P.C., P.S. Sirsa
19.	Naresh Chander, Clerk, Irrigation, Sirsa		Ditto
20.	Jajit singh, Teacher, G.Pry. School, Ram Nagaria		Ditto
21.	Duni Chand, Teacher, G.		Ditto

	Pry. School, Sirsa		
22.	Gauri Shankar, Teacher	Ditto	Ditto
23.	Tariph Singh, Overseer, Irrigation, Sirsa		Ditto
24.	Som Nath, Mechanic	H.R.W., Karnal	Case FIR No. 44, dated 8th February, 1968 under section 7 Cr. L.A., P.S., Sader Karnal.
25.	Maan Singh, Mistri	Ditto	Ditto
26.	Panna Lal, Mechanic	Ditto	Ditto
27.	Chhaja Singh, Driver	H.R.W., Ambala	Case FIR No. 6, dated 10the under section 309 I.P.C., P.C. Sadar Karnal
28.	Santokh Singh, Mechanic	Ditto	Case FIR No. 6, dated 10th January, 1968 under section 342 I.P.C./7 Cr. Law Amendment Act, 1953, P.S. City Ambala (Also See Serial No. 77)
29	Mohan Singh, Conductor	H.R.W., Rohtak	Case FIR No. 6, dated 10th January, 1968 under section 342 I.P.C./7 Cr. Law Amendment Act, 1953, P.S. City Ambala (Also See Serial No. 66)

30.	Manmohan Singh, Conductor	H.R.W., Ambala	Case FIR No. 6, dated 10th January, 1968 under section 342 I.P.C./7 Cr. Law Amendment Act, 1953, P.S. City Ambala (Also See Serial No. 68)
31.	Davinder Singh, Conductor	Ditto	Case FIR No. 6, dated 10th January, 1968 under section 342 I.P.C./Cr.Law Amendment Act, 1953, P.S. City Ambala
32.	Lal Chand, Conductor	Ditto	Ditto
33.	Om Parkash, Diriver	Ditto	Ditto
34.	Roshan Lal, Diriver	Ditto	Ditto
35.	Mohinder Singh, Driver	Ditto	Ditto
36.	Jaswant Singh, Driver	H.R.W., Rohtak	Case FIR No. 6, dated 10th January, 1968 under section 342, I.P.C./7 Cr. Law Amendment Act, 1953, P.S. City Ambala (As at e Serial Nos. 16 and 83 also)
37.	Brij Bhushan, Conductor	H.R.W., Ambala	Case FIR No. 6, dated 10th January, 1968 under section 342 I.P.C./Cr. Law Amendment Act, 1953, P.S.

			City Ambala
38.	Avtar Singh, Clerk	D.E.O. Office, Ambala	Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 under section 506 I.P.C., P.S. City Ambala (Also At Serial No. 48 below).
39.	Amar Singh, Clerk	D.E.O. Office, Ambala	Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 P.S. City Ambala as mentioned above and serial No. 49
40.	Ronak Singh, Teacher		Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 P.S. City Ambala as mentioned above and serial No. 50
41.	Sher Singh, Supdt. I.T.I.		Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 P.S. City Ambala as mentioned above and serial No. 51
42.	Raghbir Singh, Chowkidar, Canals		Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 P.S. City Ambala as mentioned above and serial No. 52
43.	Sultan Singh, Driver	H.R.W., Rohtak	Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 P.S. City Ambala as mentioned above and serial No. 53

44.	Hukam singh, Driver	H.R.W., Ambala	Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 P.S. City Ambala as mentioned above and serial No. 53
45.	Sushil Kumar, Conductor	Ditto	Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 P.S. City Ambala as mentioned above and serial No. 55
46.	Ram Lal, Mechanic	H.R.W., Ambala	Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 P.S. City Ambala as mentioned above and serial No. 56
47.	Surjit Singh, Driver	Ditto	Case FIR No. 25, dated 7th February, 1968 P.S. City Ambala as mentioned above and serial No. 57
48.	Avtar singh, Clerk	D.E.O. Office, Ambala	Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and serial No. 38
49.	Amar Singh	Ditto	Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and also serial No. 39

50.	Ronak Singh, Teacher		Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and also serial No. 40
51.	Sher Singh, Supdt. I.T.I.		Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and also serial No. 41
52.	Raghbir Singh, Chowkidar, Canals		Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and serial No. 42
53.	Sultan Singh Driver	H.R.W.Rohtak	Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and also serial No. 43
54.	Hukam Singh, Driver	H.R.W. Ambala	Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and also serial No. 44
55.	Sushil Kumar,conductor	Ditto	Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under

			section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and also (serial No. 45
56.	Ram Lal, Mechanic	H.R.W. Ambala	Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and also serial No. 46
57.	Surjit Singh, Driver	Ditto	Case FIR No. 26, dated 8th February, 1968 under section 506/541 I.P.C., P.S. City Ambala and also serial No. 47
58.	Yado Rai, Mechanic	Ditto	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/541 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala
59.	Mohinder Singh, Mechanic	H.R.W., Ambala	Ditto
60.	Kartar Singh, Conductor	Ditto	Ditto
61.	Gulshan Singh, Driver	H.R.W. Chandigarh	Ditto
62.	Surjit Singh, Driver	Ditto	Ditto
63.	Harbilas Driver	Ditto	Ditto

64.	Dhana Singh	Ditto	Ditto
65.	Mohan Singh, Conductor	H.R.W., Rohtak	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala (Also Serial No. 29)
66.	Sheo Ram, Driver	H.R.W., Ambala	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala
67.	Sarup Chands, mechanic	Ditto	Ditto
68.	Manmohan Singh, Driver	Ditto	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala (Also Serial No. 30)
69.	Manjit Singh Adda, I/C.	H.R.W., Chandigarh	Ditto
70	Chet Ram, Clerk, Irr. Br.	Rohtak	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala

			(Also Serial No. 100)
71.	Mohinder Pal Singh, Driver	H.R.W., Chandigarh	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala (Also Serial No. 30)
72.	Ved Prakash Conductor	H.R.W., Ambala	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala
73.	Jagir Singh, Conductor	Ditto	Ditto
74.	Jaswant Singh, Conductor	Ditto	Ditto
75.	Sarwan Kumar, Conductor	Ditto	Ditto
76.	Chhaja Singh, Driver	Ditto	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala (Also Serial No. 27)
77.	Santokh Singh, Mech.	Ditto	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala

			(Also Serial No. 28)
78.	Darshan Lal, Driver	Ditto	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala
79.	Brij Bhushan, Driver	Ditto	Ditto
80.	Narinder Singh, Driver	Ditto	Ditto
81.	Man Singh, Conductor,	Ditto	Ditto
82.	Jaswant singh	Ditto	Ditto
83.	Gurcharan Singh, fitter	H.R.W., Rohtak	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala (Serial Nos. 16 and 36)
84.	Jagir Singh, Driver	H.R.W., Ambala	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala
85.	Surinder Nath, Tehsil, Clerk	Narwana, district Jind	Case FIR No. 58, dated 7th February, 1968, under section 323/504, 506/34 I.P. C., P.S. Narwana

86.	Sohan Singh, Driver	Ditto	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala
87.	Gurucharan Singh Drivers	Ditto	Case FIR No. 27, dated 8th February, 1968 under section 440/350/506/342 I.P.C. and (2) Security of State Act, P.S. City Ambala
88.	Hardial Singh	Narwana, district Jind	Case FIR No. 58, dated 7th February, 1968, under section 323/504, 506/34 I.P. C., P.S. Narwana
89.	Harnam Chand Sharma, Clerk	Irrigation, Narwana	Ditto
90.	Tara Chand, Teacher, Govt. Hr. secy. School,	Jind	Ditto
91.	Ram Murti, Irrigation Office	Chandigarh	Under section 107/151, Cr. P.C., P.S., Narwana, Dated 9/2/1968 (also at serial no. 106 below)
92.	Fateh Chand, D.F. and S. Office	Chandigarh	Ditto
93.	Hawa Singh, C.M.O. Office	Jind	Ditto

94.	Shambhu Dayal Lecture Govt. Higher Sec. School,	Jind	Case FIR No. 15, dated 8th February, 1968, under section 7 E.S.M. act P.S. Jind
95.	Paras Ram Shastri, Govt. Higher Sec. School	Jind	Ditto
96	Ghyam Chand Head Master, Middle School	RamRai	Ditto
97	Raghbir Singh, Head Master, Primary School	Jalalpura	Case FIR No. 16, dated 18th February, 1968, under section 7 E.S.M. act P.S. Jind
98	Yashpal Clerk	Examiner Local Funds Accounts, Chandigarh	Case FIR No. 206, dated 15th February, 1968, I.P.C. Central Police Station Chandigarh
99	B.R. Bhatti, Assistant	Ditto	Ditto
100	Chat Ram, Clerk	C.E. Irr. Office, Chandigarh	Case FIR No. 206, dated 15th February, 1968, Section 188, I.P.C. Central Police Station Chandigarh also sr. no. 17
101	Bala Ram, Daftri	Ditto	Case FIR No. 206, dated 15th February, 1968, Section 188, I.P.C. Central

			Police Station Chandigarh also sr. no. 117
102	Bhashi Ram, Assistant Labour C.E.Irr. Office, Commr. Office	Chandigarh	Case FIR No. 206, dated 15th February, 1968, Section 188, I.P.C. Central Police Station Chandigarh also sr. no. 117
103	R.K. Sharma, Assistant Director Agri. Office	Chandigarh	Ditto
104	Daya Ram, Assistance Chief Election Office	Chandigarh	Ditto
105	Rajender Kumar, Clerk, Director Public Relation	Chandigarh	Ditto
106	Ram Maruti, Clerk, C.E.Irr. Office	Chandigarh	Case FIR No. 206, dated 15th February, 1968, Section 188, I.P.C. Central Police Station Chandigarh also sr. no. 91
107	Guru Charan Singh Bhatia, Assistant Controller of Stores Office	Chandigarh	Ditto
108	Ram Avtar, Assistant, C.E. Public Health Office	Chandigarh	Case FIR No. 256, dated 12th February, 1968, Section 309, I.P.C. Central Police Station Chandigarh

109	Roshan Lal, Mechanic Haryana Roadways	Ambala	Ditto
110	Balwant Rai Goyal, Irr. Dept.	Kaithal	Case FIR No. 289, dated 29th April, 1968, Section 309, I.P.C. Central Police Station Chandigarh
111	Brij Mohan, Teacher	Naraingarh	Ditto
112	Amin Chand Patwari, Irr.	Narwana	Case FIR No. 322, dated 08th May, 1968, Section 309, I.P.C. Central Police Station Chandigarh
113	Surender Singh, Instructor I.T.I.	Amabala	Ditto
114	Gurmuk Singh, Driver, Haryana Roadways	Amabala	Case FIR No. 353, dated 19th May, 1968, Section 309, I.P.C. Central Police Station Chandigarh
115	Ram Sarup, Teacher	Loharu, Hisar	Ditto
116	Vishwa Mitar, Assitant Civil Secretariat	Chandigarh	Case FIR No. 399, dated 3rd June, 1968, Section 309, I.P.C. Central Police Station Chandigarh
117	Bala Ram Daftri, C.E.Irr.	Chandigarh	Case FIR No. 399, dated 3rd June, 1968, Section 309,

			I.P.C. Central Police Station Chandigarh (also serial no. 101)
118	P.N. Sud, Assistant Civil Secretariat,	Chandigarh	Case FIR No. 419, dated 14th April, 1968, Section 309, I.P.C. Central Police Station Chandigarh
119	Sohan Lal, Teacher	H.S.S.F. Unit Hisar	Ditto
120	Om Parkash, Assistant Social Welfare Branch, Civil Secr.	Chandigarh	Arrested, vide D.D. entry dated 9th Feb. 1968, under section 107/151 Cr. P.C., Western Police Station, Chandigarh.

Note:- The total number of employees arrested in different cases in connection with the H.S.S.F. agitation was 101. 17 persons were such who were arrested in more than one case and their names have been given twice in the list (One Sh. Jaswant Singh was arrested in 3 cases). This figure also includes the names of 12 hunger-strikers who were arrested at Chandigarh. The hunger strikers numbered 14 (list in para 'c') but 2 of them were not arrested.

श्री मंगल सैनः आपने मुझे जो जवाब दिया है इसके पांच सफे है। इसमें बताया गया है कि 101 हरियाणा सर्बाडिनेट

फैड्रशन के लोगों को गिरफ्तार किया अैर 17 ऐसे आदमी है जिनके ऊपर केसिज चलाये और दोबारा अरैस्ट किए। फैड्रेशन ने इन की अश्योरेस पर ऐजीटेशन विदड्रा कर लिया। मै मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होने उन केसिज को विदड्रा कर लिया है या नही?

मुख्य मंत्रीः स्पीकर साहिबा, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा केस गवर्नमैंट के नोटिस में लाये कि किसी एम्पलाई के साथ नाजायज विकटेमाईजेशन हुई है। तो गवर्नमैंट उस पर विचार कर सकती है, वरना जो कानून के दायरें में आ गये है वे इसकी सजा भोगेगे और अदालत में कुदमें चलाये जायेगे।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिबा, मैने अपना क्वैशन इस ढंग से पूछाा था कि जो क्रिमिनल केसिज उनके खिलाफ की सरकार इंस्टीच्यूट किये हुए है, क्या सरकार उन केसिज को विदड्रा करने को तैयार है?

मुख्य मंत्रीः यहां चंडीगढ़ में तो यूनियन टैरिटरी की सरकारहै, वही विदड्रा करसकती है। मगर जहां तक हरियाणा के केसिज का ताल्लुक है अगर किसी ने ओफैंस किया है तो उस का फैसला कोर्ट करेगी।

श्री फतेह चन्द विजः क्या स्वास्थ्य मंत्री साहिब फैड्रैषन की मीटिग में गए थे और वहां उन्होने एश्योरेस दी थी कि उनकी मांगे मान ली जाएंगी।

मुख्य मंत्रीः हैल्थ मिनिस्टर साबिा कोई प्रौमिस करके नही आये।

श्री मंगल सैनः अभी अभी एक बात की गई कि स्वास्थ्य मंत्री कोई वायदा करके नही आये। मै स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे वहां किस नाते से गये थे और उनके साथ वहां क्या बातचीत हुई?

मुख्य मंत्रीः अगर किसी कर्मचारी ने मरण–व्रत किया हो और उस व्रत को तोड़ने के लिये अगर कोई फंक्शन किया हो और मिनिस्टर साहिब वहां गये हो तो इस में कौन सी गलत बात है? इसका मतलब यह नही कि उनके गुनाह खत्म हो गये और माफ कर दिया गया।

चौधरी चांद रामः वे वहां क्याकहने के लिय गए, गूंगगे ही बने रहे या कुछ बात भी की?

मुख्य मंत्रीः स्वास्थ्य मंत्री ने जाकर कहा कि वह बहुत अच्छी बता हुई जो आपने स्ट्राईक तोड़ दी। हम इस बात को इसी स्पिरिट में लेते है।

श्री मंगल सैनः क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या उन्होने इम्पालाईज को यह नही कहा कि हम डिटेल पर बाद मे बात करेगे? क्या इन्होने यह नी कहा कि विक्टैमाईजेशन के कस विदड्रा करेंगै और डिमाड्ज मानेगे?

स्वास्थ्य मंत्रीः मै आनरेबल मेम्बर से कहना चाहता हूं कि जो भी बाते हुई वह अनकंडीशनल थी। कोई अश्योरेंस नही दी बई। बातें बाद मे हुई औरस्ट्राईक पहले तोड़ दी गई थी। सिर्फ उनकी इसबात को ही एप्रिशिएट करने के लिये मै वहा पर गया था।

चौधरी चांद रामः क्या मिनिस्टर साहिब बतायेगे कि उन्होने वहा कितनी देर बातें की और क्या क्या कहां?

स्वास्थ्य मंत्रीः जो लोग वहां पर हाजिर थे उन्होने बाते सुनी मेरे पास काई रिपोटर नही था जो हर बात को नोट करता।

श्री मंगल सैनः आपने फरमाया कि जो बातें हुई वह जनता के सामने हुई। हमने भी जनता से ही यह बातें सुनी है। हम ने घर बैठे ही नही सुन लिया। मैने एक डैफिनिट क्वैश्चन पूछा था जिसका जवाब मिनिस्टर साहिब को देपा चाहिये। स्पीकर साहिब, मै इस बात पर आप की रूलिंग चाहता हूं कि क्या किसी मैबर को फैड्रेशन से हुई बातचीत को पूछने का अधिकार है या नही?

चौधरी रणबीर सिंहः स्पीकर साहिब जो पेपर टेबल पर रखे हुए है उनमें यह पूरी तरह से लिखा गयाहै कि किन किन सैक्शनज के तहत केस रजिस्टर हुए है।

मुख्य मंत्रीः स्पीकर साहिब जो पेपर टेबल पर खे गए है उनमें यह पूरी तरह से लिख गया है कि किन किन सैक्शनज के तहत केस रजिस्टर हुए है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहिब, आपकी मारफत मै मिनिस्टर साहिब से जानना चाहता हूं कि क्या इनके इन्टरवैन्षन और परसुएशन के बाद उन्होने स्ट्राइक खत्म की या वे पहले ही खत्म कर चुके थे?

Mr. Speaker: I think the answer has already been given.

चौधरी चांद रामः हम इससे सतुष्ट नही है क्योंकि वे इधर उधर की बातें करते है वे कहते है कि वे तो उन्हें मुबारिकबाद देने और उनके साथ चाय पीने गए थे।

मुख्य मंत्रीः स्पीकर साहिब, मैने तो बड़ा कैटेगैरीकल स्टेटमैट दिया है कि हमने उनसे कोई वायदा नही किया है। उन्होने अपने आप अनकंडीशनली स्ट्राइक को काल आफ किया है।

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहिब, आपको याद होगा कि अखबार में तो यह आया था कि हैल्थ मिनिस्टर इन्टरवैन्शन पर स्ट्राइक काल आफ हुई।

मुख्य मंत्रीः गवर्नमैंट अखबारों में क्या आता है उसका एक्सप्लेनेशन नही देगी।

Mr. Speaker: I think, let us be fair, Answer to evry supplemenatry has been given by the Chief Minister and the reportig in newspapers becomes meningles, when the hon. Members seek information from the Government here.

चौधरी जोगिन्द सिंहः क्यामुख्य मन्त्री जी बतान की कृपार करेंग कि स्ट्राइके के मामले में जिन कर्मचारियों को सस्पैन्ड किया गया था वे बहाल हो गए है या नही?

मुख्य मंत्रीः स्पीकर साहिब, जिन जिन के खिलाफ कार्यवाही हो रही है उसकी स्टेटमैंट मैने दी है। इसके अलावा अगर ये कोई ऐडिशनल इनमर्मेशन चाहते हों तो अलहदा नोटिस दे सकते है।

Ch. Chand Ram: This is just avoiding the issue. Sir, It is a very important question conerning the emloyees of the State who run the administration.

स्पीकर साहिब, हम साफ तौर से यह जानना चाहते है कि आया एमप्लाइज नेअपनी मर्जी से स्ट्राक काल आफ की या मिनिस्टर साबिह वहां गए ाऔरउनके ये कहने पर कि भाई क्यों एडमिनिस्ट्रेषन को परैरेलाइज किए हुए हो, हम तुम्हारी मांगों को सिम्पैथैटिकली कंडिसर करेंगे, उन्होने स्ट्राइक को तोड़ा। हम तो स्पीकर साहिब उनसे सिर्फ यही जानना चाहते है कि उन्होने वहां जाकर क्या कहा?

So, we are entitled to know about the persons who are running the administration of the State.

Mr. Speaker: If the hon. Member remembers answer has already been given by the Health Minister when he said that before he talked to them the strick had already been called off or terminated. When they terminated the strike, the hon. Minister, as stated by him, went there to apprecaiate their action.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिब, वहां कोई बातचीत तो हुई होगी। हम उस बातचीत को जाननाचाहाते है?

स्वास्थ्य मंत्रीः उसका कोई रिकार्ड नही है।

Mr. Speaker: Answer to this supplimentary has already been given that whatever had happend was after the strike had been called off.

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहिब, मेरा सप्लीमैन्टरी यह है कि जब हैल्थ मिनिस्टर साहिब वहां गए तो कोई बातचीत तो वहां हुई होगी। इन्होने अपने आप हाउस में माना भी है कि उनकी वहां बातचीत हुई थी। तो अब हम जानना चाहते है कि आया उस बातचीत को डिस्क्लोज करना ये पब्लिक इन्ट्रेस्अ मे नही समझते या वह इतनी कनफिडैन्शल है जिसे बताना ये पसन्द नही करते?

मुख्य मंत्रीः कोई सिगनिफिकैन्ट बात नही हुई थी।

चौधरी चांद रामः इनसिगनिफिकैन्ट को ही बात दें।

मुख्य मंत्री: हम सुबह से शाम तक होने वाली बातों को नही बता सकते।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहिबा, हो सकता है कि मै आपकों अपनी बाता समझा नही पाया हूं। इसलिए मेरे सबमिशिन यह है कि 95 हजार कर्मचारिों के इन्ट्रेस्ट को ध्यान में राते हुए मै यह जानना चाहता हूं कि एप्रीसिएशन के दौरान इन्होने क्या क्या बातें की थी? स्पीकर साहिब, मै आपकों बताना चाहता हूं कि उन्होने वहां बड़े बड़े वायदे किए थे परन्तु मुख्य मंत्री साहब चूंकि अपने वादां से मुकर गए है। इसलिए हैल्थ मकिनस्टर साहब भी अपनी बातों का, जो उन्होने कर्मचारियों से की थी, नही बता रहे है मेरा आपके द्वारा उनसे अनुरोध है कि वे बोल्डली उन बातों को यहा भी बताए। (No Reply)

Ch. Chand Ram: Sir, no reply is coming forward from the Chief Minister. He may be asked to anwer this supplomentary question.

Mr. Speaker: The answer has already been given.

Polytechnic in Palwal

*38 **Shri Roop Lal Mehat:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the condieration of the Government to convert the prestn I.T.I.,

Palwal, into a Polytechnice to provide better facilities for the teachnical education to the residents of theat area?

Shri Bansi Lal: No.

श्री रूप लाल मेहता: क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि गुड़गांव जिला को टैक्नीकल तालीम की सहुलियत से क्या महरूम रखा गया है?

मुख्य मंत्री: किसी भी जिले का महरूम नही रखा जाता है। जहां जिस चीज की जरूरत होती है। वहां उसे दिया जाता है। आई.टी.आई. वहां है, वहां से लोग तालीम ले सकते है।

श्री रूप लाल मेहता: क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पलवाल के आई.टी.आई पोलिटैक्निक में बदनले में सरकार को क्या माली मुश्किलता है?

मुख्य मंत्री: वहां जरूरत नहीहै, इसलिए वहां ऐसा नही किया गया।

श्री दयाकृष्ण: क्या मुख्य मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि आई.टी.आई से ट्रेनिंग लिए हुए बहुत से व्यक्ति बेकार फिरते है? यदि हां, तो इनक लिय क्या प्रबन्ध किया जा रहा है?

मुख्य मंत्री: मेरे नोटिस मे, स्पीकर साहिब, ऐसी कोई बात नहीहै। अगर मेंम्बर साहिब बताएंगे तो उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री मंगल सैनः क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि उनके नोटिस में डिपार्टमैंट ने यह लाया है कि इस बार आई.टी.आई. में दाखले बहुत कम हुए?

मुख्य मंत्रीः अभी तक तो यह बात मेरे नोटिस में नही आई है?

श्री दया कृष्णः क्या मुख्य मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि बहुत से ओवरसीयर बेकार फिरते है?

मुख्य मंत्रीः इसका तो, स्पीकर साहिब, पहले ही जवाब दे दिया गया है।

Waterlogged aread on Palwal-Sohna Road

*40. **Shri Roop Lal Mehat:** Will the Minister for Finance be pleased to state whether any arrangments are being made to clear up the water logged area on Palwal-Sohan Road between Dhatir and Jaindpur villages for bringing it under cultivation?

Shri Ram Dhari Gaur: (Irrigation and Power Minister): This area is served by Dhatir Link Drainof Gaunchi Main Drain. The Gaunchi Main Drain is being regarded and on completionits full suply level willbe lowered, which will ensure effeictive funcioning od Dhatir Link Drain and will bring this waterlogged area under cultivation.

श्री रूप लाल मेहता: क्या इरीगेशन मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि इन गांवों में हर साल जो फ्लड आ जाताहै। उसकां रोकने के लिण् सरकार क्या इन्तजाम करेगी?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री: स्पीकर साहिब, मैने उत्तर में बताया कि चैनल्ज को हम डीपन करवा रहे है। जब वाटरलैन्ड एरियाका पानी इन में आ जाएगा तो कल्टीवेशन बड़े अच्छे ढंग से हो सकेगी और लोगों को कोई तकलीफ नही होगी। पीछे तो तकनीफ हो चुकी है उसके लिए हम जिम्मेवार नही है।

श्री रूप लाल मेहता: डीपनिंग के लिये कितना अर्सा लगेगा?

सिचाई तथा विद्युत मंत्री: इसी साल हो जाएगी।

श्री रूप लाल मेहता: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि जो दरखास्तें 31 मार्च तक आयी है। उनकों बिजली मिल जायेंगी?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री: हां इसी साल में मिल जायेगी।

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगे कि जिन ट्यूबवैलों में चलते चलते खारा पानी आने लगनता है ओर फिर वे दूसरी जगह ट्यूबवैल लगाना चाहे तो क्या उनको महकमा जल्दी से जल्दी कनेक्शन देगा?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रीः हमारा काम कनेक्शन देने का है अगर सरकार ठीक समझेगी तो वहां भी जरूर देगी।

Ch. Chand Ram: May I know from the hon. Minister what is the normal time for the disposal of an application?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रीः हममें नार्मल टाईम तीन चार महीन लगते है उसमें हम सब ऐपलीकेशन्ज को डिस्पोज आफ करने की कोशिश करते है।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगेकि उन्होने ऐप्लीकेशन्ज डिस्पोज आफ करने का क्राटेरिया क्या रखा है? उस क्राइटेरिया के अन्दर अर्थात् तीन चार महीन के अन्दर बिजली का कनैक्षष्न मिल जाता है। या सिर्फ डिमान्ड ही नोट करते है, क्योंकि कनैक्शन मिलने में काफी देर लगती है।

सिचाई तथा विद्युत मंत्रीः मैने बताया है कि तीन चार महीने में डिस्पोज आफ करने की कोशिश करते है इस वर्ष हमारे पास 31 मार्च तक जितनी ऐपलीकेशनज आई है सबकों को कनेक्शन दे देंगे।

श्रीमती चन्द्रावतीः मंत्री महोदय को यह पता होगा कि हमारे यहां लोगों को एक एक दो दो साल हो गये है दरखास्ते दिये हुए लेकिन अभी बिजली नही मिली। क्या उन आफिसर्ज के खिलाफ एक्शन लेगे जो नम्बर से कनेक्शन नही देते है?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रीः अब इस साल हमें 15 हजार कनेक्शन देंगे और अगर ऐसी कोई बात है तो हम उन अफसरों के खिलाफ जरूर ऐक्शन लेंगे।

चौधरी चांद रामः जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि नारमल टाईम तीन चार महीने का है और 31 मार्च तक जितनी ऐपलीकेशनज आती है। उनको डिस्पोज आफ कर देंगे। लेकिन जो ऐपलीकेशन्ज अब 31 मार्च के बाद आयी है यानी जो अब जुलाई तक आई है और उनको 5–6 महीने हो गये है वे कब डिस्पोज होगी, आप कहते है कि नारमल टाईम तीन महीन का है? My supplemnetary is how long does it normally take to finalise an application for a tube-well conceton?

सिचाई तथा विद्युत मंत्री : हम कनेक्शन तो तीन–चार महीने मेंही देने की कोशिश करते है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दरखास्तों में किसी किस्म की कमी रह जाती है तो उसकों पूरा कराने के लिये वापिस भेजते है तो उसमे ंटाईम लग जाता है वरना हम तीन चार महीने में ही कनेक्शन देने की कोशिश करते है चाहे किसी की दरखास्ता मार्च के बाद आये या पहले आये।

श्री ओम प्रकाश गर्गः यह हर वक्त कहते रहते है कि दरखास्ते ंपड़ी है, यह है और वह है जब श्री मंगल सैन जी की हकूमत थी और चांद राम जी की भी, तो कया उस वक्त दरखास्ते ंनही पड़ी हुई थी? उस सम क्यों नही जल्दी से डिस्पेज आफ की जाती थी?

श्री मंगल सैनः जरा इतनी चमचागीरी न किया करो।

Chief Minister: Sir, Shri Mangal Sein has used the word "Chamchagiri". Since this word is unparliamentary he may be asked to withdraw it.

Mr. Speaker: I would request the hon. Member to withsraw it.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिब, मै अपने शब्दों का विदड्रा करता हूं और मै इस हाउस की डिगनिटी रखना चाहता हूं लेकिन कुछ मेंम्बर मंत्रियों की नाजायजतौर पर वेल उनको राजी करने के लिए खुशामद करते है। मुझे हमेशा कहते है कि मंगल सैन की हकूमत में यह हुआ है वह हुआ। मेरा मतलबर इस शबद से नाजायज खुशामद है। अगर आप कहे है तो मै विदड्र करता हूं।

Mr. Speaker: Please withdraw it and I would also ask you not to use such expression in future.

Shri Mangal Sein: Sir, I withdraw it but this tie it was stared by him.

Mr Speaker: No. He merely asked whether the Government is aware of the fact that there were some cases pending for a long long time and action on them could very well have been taken by the previous Government. He did not use any unparliamentarily word.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिब, यह अनपालियामेंटरी नही है मैने शुगल में कहा है, तो इनको तकलीफ हो गई है। आप रिपोर्ट देख सकते है ये हमेशा कहे है कि मंगल सैन की हकूमत रही। स्पीकर साहब अब तो इनकी है और पहले भगवत दयाल की थी, अब श्री बंसी लाल की है यह पता नही रेगी या नही, यह ईश्वर जानता है। तो स्पीकर साहब, मै जानना चाहता हूं कि मेरा ही नाम क्यों लिया जाता है?

Mr. Speaker: I have disallowed your supplementary.

Enquiry against Maize, Barely and Bajra Scandal in the stat

*23 **Shri Mangal Sein:** Will the Minster for Public Works be pleased to state:

(a) Wheter any equiary has been held in connection with the relaxation of restrictions of the movement of maize, barely and bajra in the State during the regime of the former government;

(b) If reply to Para (a) above be in the affricating, whether any persons have been found guilty of any illegal action or dishonest practices in the said case ; if so, their names?

20. Shri Fateh Chand Vij: Will the Minister for Labour be pleased to state:-

(a) The total number of tractors distributed by the Agro-Industrial Corporation (Haryana) during the periods from October, 1967 to 31st May, 1968;

(b) The names, addresses and other particulars of the persons or societies, district wise, to whom the said tractors were distributed together with the dates of applications, booking of orders and of actual D\distribution of tractors, respectively, in respect of the said persons/societes.

Ch. Ram Singh: (a) 199 Zetor tractors have been distributed amongst farmers and one have been retained by the Haryana Agro-Industrial Corporation for its own use. 30 tractors form the above lot were allocated to farmers of Delhi Union Territory on the basis of instructions received from the Government of India.

(b) A list, district-wise, showing the names, addresses and other particulars of the persons or societies to whom the tractors have been distributed, is attached.

Mr. Speaker: I have disallowed your supplementary.

Enquiry against Maize, Barely and Bajra Scandal in the stat

***23 Shri Mangal Sein:** Will the Minster for Public Works be pleased to state:

List of persons to whom tractors have been allotted

Table

Sr.	Name & Address	Date of receipt of application	Date of delivery
1	2	3	4
1	Shir Krishan Singh, son of Shri Tungle Sing, Village Bijana, P.O. Barota, District Karnal	4-12-67	29-2-68
2	Shir Sarup singh, Son of Shri Bharat Singh, V. & P.O. Kher Naru, Block Nassing District Karnal	20-12-67	29-2-68
3	Shri Hargin Singh S/o Sh. Bharat Singh V.P.O. Kheri Naru, Blcok Nassing, District Karnal	16-12-67	11-3-68
4	Shir Prithi Singh, son of Shri Tungle Singh Village Bijna, P.O. Barot, District Karnal	4-12-67	24-2-68
5	Sh. Ram Kishan S/o Sh. Goyee Ram, Village Pingli, P.O. Kherinaru, Block Massing, District Karnal	30-11-67	24-2-68
6	Sh. Mauji Ram S/o Sh. Bhure Mal V.P.O. Adyaana, District Karnal	5-12-67	28-2-68
7	Sh. Randhir Singh, Dewinder Singh S/o Sh. Hakim Singh, V.P.O. Lukhi,	8-12-67	9-3-68

	Block Tanesar, District Karnal		
8	Sh. Jasmer Singh S/o Sh. Shiv Narain Singh, Village Shahabad, District Karnal	4-12-67	4-3-68
9	Sh. Gopal Krishan Kapur S/o Sh. Bal Krishan, V.P.O. Kishanpura, Block Panipat	15-12-67	17-4-68
10	Sh. Jogi Ram S/o Sh. Hardwari, Maha Singh S/o Nihal Singh, V.P.O. Nagura, Blcok Rajaund, District Karnal	1-1-68	29-3-68
11	Sh. Tika Ram S/o Sh. Hargain Singh, V.P.O. Dhodpur, Block Samalkha, District Karnal	5-1-68	4-3-68
12	Sh. Sardar Singh V.P.O. Uchana, District and Block Karnal	8-12-67	29-2-68
13	Sh. Raghbir Singh S/o Sh. Neki Ram, V.P.O. Bhand, District, Karnal	15-12-67	27-3-68
14	Sh. Indraj Singh S/o Sh. Ram Lal, Village Kurlain, P.O. Padha, Block Gharaunda, District Karnal	13-12-67	6-3-68
15	Sh. Darya Singh S/o Sh. Baru Ram, Village Manana, Block Panipat, District Karnal	15-12-67	6-3-68

16	Sh. Kehem Singh A.C.O., S/o Bharat Singh, Randhir Colony, G.T. Road, Karnal	6-12-67	2-3-68
17	Sh. Rampal Singh S/o Sh. Basant Singh, Nanda Lodge, Karnal	5-12-67	8-3-68
18	Sh. Tika Sigh S/o Sh. Bhag Singh, v.p.o. Uchana, Block and District Karnal	4-12-67	5-3-68
19	Sh. Mai Chand S/o Ch. Sis Ram, Village Sehramalpur, P.O. Samalkha, Block Panipat, District Karnal.	12-12-67	8-3-68
20	Sh. Mohan Lal S/o Sh. Lekhi Ram Village Village Sehramalpur, P.O. Samalkha, Block Panipat, District Karnal.	13-12-67	27-3-68
21	Sh. Ran Singh and Mohan Singh S/o Sh. Kaniya Lal, V.P.O. Ugra Kheri, Block Panipat District Karnal	21-12-67	16-3-68
22	Sh. Mahabir Singh, Jagir Singh, Dalbir Singh and Ranbir Singh S/o Sh. Gani Ram V.P.O. Puthar, Block Samalkha	5-12-67	8-3-68
23	Sh. Karan Singh Dayal S/o Sh. Ram Singh, Village Thukar, P.O. Bodhni, Block Thanesar, District Karnal	14-12-67	11-3-68

24	Sh. Mulak Raj S/o Sh. Phirya Lal Kishan Basti, 45/G, Nilokheri, District Karnal	12-12-67	9-3-68
25	Sh. Anand Parkash, Sukhpal Singh and Jai Bhagwan, V.P.O. Mandi, Block Samalkha, Distric Karnal.	14-12-67	8-3-68
26	Capt. K.V. Singh, 17, Rajpurts C/o 56 A.P.O.	4-12-68	5-3-68
27	Sh. Ram Singh Sindhu S/o Sh. Ratti Ram V.P.O. Gagsina, Block Gharaunda, District Karnal	13-12-67	29-2-68
28	Ch. Rao Shaeb Narsing Dass, Kaithal, District Karnal	6-12-67	18-3-68
29	Sh. Ram Diya S/o Sh. Shis Ram, V.P.O. Dihandal, Block Samalkha, District Karnal	11-12-67	11-3-68
30	Sh. Sultan Singh S/o Bhag Singh, Village Rasina, Block Pundri, District Karnal	23-12-67	29-3-68
31	Sh. Darbara Singh S/o Sh. Suren Singh, V. Usmanpur, P.O. Pehwa, District Karnal	3-12-67	Do
32	Sh. Balwant Singh Cheema S/o Sh. Hakim Singh, V. Jundla, Block Nissang, District Karnal	18-12-67	4-4-68

33	Sh. Dal Chand S/o Sh. Jug Lal, V.P.O. Karans, Block Panipat District Karnal	16-12-67	5-4-68
34	Sh. Ram Dhan S/o Sh. Jug Lal V.P.O. Karans, Block Panipat, District Karnal	15-12-67	5-4-68
35	Sh. Gaje Singh S/o Sh. Mehu Ram V.P.O. Sekhupura, Block Gharaunda, District Karnal	19-12-67	23-3-68
36	Sh. Dal Singh, Lamberdar, 49 R, Model Town, Rohtak	1-12-67	9-4-68
37	Sh. Dharam Singh S/o Sh. Gagar, V.P.O. Buram, Block Panipat, District Karnal	16-12-67	9-4-68
38	Sh. Puran Singh S/o Sh. Tek Chand, V.P.O. Burshain, Block Panipat, District Karnal	28-12-67	1-4-68
39	Smt. Bhagwan Kaur W/o Sh. Fauja Singh, V. Usmanpur, P.O. Pehwa, Block Kurukshetra, District Karnal	7-12-67	27-3-68
40	Sh. Churiya Ram S/o Ch. Raup Chand, V.P.O. Samgarh, Block Nilokheri, District Karnal	11-12-67	8-4-68
41	Sh. Badam Singh S/o Sh. Het Ram, V.P.O. Karhans, Blcok Panipat,	6-12-67	9-4-68

	District Karnal		
42	Smt. Nirmala Malik C/o Sh. R.S. Malik Under Secretary to Government, Haryana	6-12-67	9-3-68
43	Sh. Shamsher Singh S/o Sh. Jangi Ram, V.P.O. Gagsina, Block Gharaunda, District Karnal	7-12-67	9-3-68
44	Sh. Jagdish Chander Kalra, 93, Model Town, Panipat	7-12-67	25-3-68
45	Sh. Prem Nath S/o Sh. Jgan Nath, V. Pabana Hussanpur, P.O. Bal Ran Ram, Block Gharaunda, District Karnal5-1-68	15-12-67	28-3-68
46	Sh. Maktul Singh, S/o Sh. Sant Lal Ji, H.No. 905, Sector-B, Chandigarh	5-1-68	5-4-68
47	Sh. L.C. Sikka S/o Sh. Kansi Ram, Kothi No. 4J/57, Sector-5, Chandigarh	15-12-67	4-5-68
48	Sh. Kartar Singh S/o Sh. Nathu Ram, V.P.O. Ghoghripur, Block Nissang, District Karnal	13-12-67	5-4-68
49	Sh. Amarjit Singh S/o Sh. Maksudan Singh, V.P.O. Rambha, District Karnal	3-1-68	16-3-68

50	Sh. Ran Singh S/o Sh. Phula Ram, V.P.O. Phaprana, Blcok Asand, District Karnal	11-12-67	11-3-68
51	Sh. Ranjit Singh S/o Sh. Vir Singh, V.P.O. Lakhmaniri, Block Radaur	6-12-67	13-3-68
52	Sh. Taran Singh S/o Sh. Vaskha Singh, V.P.O. Bandrala, P.O. & Block Assandh, District Karnal	19-12-67	12-4-68
53	Sh. Raghbir Singh S/o Sh. Lachhman Singh, V. Kutani, Block and P.O. Panipat, District Karnal	18-12-67	26-3-68
54	Sh. Jaswinder Singh, V. Khurd Band, Block Ladwa, District Karnal	8-12-67	26-3-68
55	The Bhaini Kalan Co-operative Joint Farming Society Ltd., Bhanini Khurd, Block Nilokheri, District Karnal	11-12-67	13-4-68
56	Sh. Pritam Singh S/o Sh. Gurlal Singh, Nilokheri, District Karnal	2-12-67	4-5-68
57	Sh. Brij Lal Petney, 9D, Model Town Panipat, District Karnal	5-1-68	29-3-68
58	Sh. Jai Singh S/o Sh. Mukhi Ram, V.P.O. Chirao, Karnal	13-12-67	15-4-68
59	Sh. Jai Lal S/o Sh. Singh Ram, V.P.O. Manana, Block Panipat,	23-12-67	29-3-68

	District Karnal		
60	Sh. Ujjal Singh S/o Sh. Mange Ram, V.P.O. Paoti, P.O. Smalkha, District Karnal	20-12-67	17-4-68
Ambala District			
1	Sh. Lok Nath Marwaha S/o Sh. Mool Ram, 66, the Mall, Ambala Cantt.	4-12-67	28-2-68
2	Sh. Dharampal Singh S/o Sh. Chanda Singh, V. Ghasitpur, P.O. Bita, Block Barara, District Ambala	7-12-67	22-2-68
3	Sh. Risal Singh S/o Sh. Balwant Singh, V. Buria Gate, Jagadhri, District Ambala	7-12-68	24-2-68
4	Sh. Ganda Singh S/o Sh. Balwant Singh, V. Khajuri, P.O. Nangal, Block Jagadhri, District Ambala	7-12-67	24-2-68
5	Sh. Mahipal Singh S/o Sh. Basant Singh, V. Ghasitpur, P.O. Bita, Block Brara, District Ambala	7-12-67	22-2-68
6	Sh. Gurdip Singh S/o Sh. Inder Singh, V.P.O. Ugala, Block Barara, District Ambala	7-12-67	28-2-68
7	Sh. Raja Ram Singh, Chohan and Acquisition Collector, Town and Country Planning Department,	7-12-67	1-3-68

	Haryana, Chandigarh		
8	Sh. Maharaj Singh, Advocate C/o Central Co-operative Bank, Ambala City	13-12-67	15-4-68
9	Smt. Attar Kaur W/o Sh. Amrik Singh, V. Saras Garh, P.O. Dheen, Block Barara, District Ambala	28-12-67	28-2-68
10	Lt. Col. R.C. Dutt, Headquarters Ambala Sub-Area, Ambala Cantt.	18-12-67	9-3-68
11	Capt. Gurcharan Singh, 388, Coy. A.S.C. (Supply) C/o 56, A.P.O.	11-12-67	29-2-68
12	Sh. Ram Pal Singh S/o Sh. Bharat Singh and Sh. Gyan Singh S/o Sh. Karam Singh, V.P.O. Bitta, Block Barara, District Ambala	16-12-67	29-3-68
13	Sh. Sunder Ram S/o Sh. Munshi Ram, V. Lagrachali, P.O. Keshri Block Barara, District Ambala	7-12-67	3-4-68
14	Sh. Phul Singh S/o Sh. Gopal Singh, V.P.O. Thambar, Blcok Barara, District Ambala	13-12-67	22-3-68
15	Sh. Chhater Singh S/o Sh. Tuman Singh, V. Ghastipur, P.O. Bita, District Ambala	13-12-67	1-5-68

16	Capt. Phul Singh S/o Sh. Amar Singh, V. Rampur, P.O. Bita, Block Barara, District Ambala	30-12-67	22-3-68
17	Sh. Samya Singh S/o Sh. Kartar Singh, V.P.O. Hroli, Block Barara, District Ambala	13-12-67	9-4-68
18	Sh. Ritam Singh So Sh. Shiv Dayal Singh, V. Shahpur, Block & District Ambala	9-12-67	26-3-68
19	Sh. Sarwan Singh and Sh. Sarajan Singh S/o Sh. Makhan Singh, V.P.O. Jatwar, Block Raipur Rani, District Ambala	13-12-67	9-4-68
20	Sh. Mahabir Singh S/o Sh. Bichha Singh, V.P.O. Hema Majra, District Ambala	8-1-68	4-4-68
	Hisar District		
1	Sarvshri Richpal Singh Grewal, Harpal Singh Grewal S/o Sh. Narinder Singh Grewal, V. Tehri Ramipur, P.O. Morewala, Block Sirsa, District Hisar	19-12-67	16-3-68
2	Sh. Matu Ram S/o Sh. Kanshi Ram and Sh. Dev Dutt and Krihsan Chand S/o Sh. Jai Lal, V.P.O. Rakhi Khas,	23-12-67	1-3-68

	District Hisar		
3	Smt. Risal Kaur W/o Sh. Satvir Singh Rathe, H.No. 11F/143, Sector-23-A, Chandigarh	5-12-67	6-3-68
4	Sh. Lavan Singh S/o Sh. Hema Singh, V. Mirkan, P.O., Block and District Hisar	8-12-67	29-3-68
5	Sh. Dalip Singh S/o Sh. Mukh Ram, V. Mangali Jhara (Singh Ran), P.O. Barwa, Block Hisar-A, District Hisar	30-12-67	29-3-68
6	Sh. Musadhi Lal, S/o Sh. Shiv Karana, V.P.O. Satrod Khurd, Block and District Hisar	5-1-68	20-3-68
7	Balwant Rai Tayal, Bazar Chachanchian, Hisar	8-1-68	3-4-68
8	Sh. Prem Sukh Dass, Ex. M.L.A., Sirsa, District Hisar	8-1-68	3-4-68
9	Sh. Lekh Ram S/o Sh. Chaman Dass, 881-A, New Mandi Sirsa, District Hisar	7-12-67	13-3-68
10	Sh. Nand Ram S/o Sh. Mohan Lal, Mohalla Lek Ram, Jaildar, District Hisar	18-12-67	16-3-68
11	Sh. Kartar Singh S/o Sh. Bholla Singh, V.P.O. Meond Kalan, Block	5-12-67	15-4-

	Tohana, District Hisar		68
12	Sarvshri Tajinder Singh, Baldev Singh, Rajinder Singh S/o Sh. Darshan Singh, V.P.O. Nangthala, Block Barwala, District Hisar	20-12-67	8-4-68
13	Sh. Tara Singh S/o Sh. Bant Singh, V. Kula, P.O. Dharshul, Block Tohana, District Hisar	11-12-67	15-4-68
14	Sh. Ram Singh, S/o Sh. Ram Rakh, V. Kula, P.O. Suchan Kotli, Block Sirsa, District Hisar	20-12-67	7-3-68
15	Sh. Kulbir Singh S/o Ch. Amir Singh, V. Ludas, P.O., Block and District Hisar	30-12-67	8-3-68
16	Sh. Ramdawya Ram S/o Sh. Adu Ram, V. Meond Kalan, Block Tohana, District Hisar	8-12-67	6-3-68
17	Sh. Mam Chand and Tansukh Rai S/o Sh. Ratti Ram, V.P.O. Modakhera, Block and District Hisar	23-12-67	
18	Sh. Munshi Ram S/o Sh. Ram Singh, V.P.O. Sisai Kaliraan, Block Hansi, District Hisar	15-12-67	18-3-68
19	Sh. Suraj Parkash S/o Sh. Gopal Dass, C/o Sh. Pearey Lal,	26-12-67	6-3-68

	Lambardar, V.P.O. Rania, District Hisar		
20	Sh. Jamna Singh S/o Sh. Sh Jag Ram, V.P.O. Malikpur, No. 1 Blcok, Narond, District Hisar	13-12-67	11-3-68
21	Subedar Jai Chand Mann S/o Sh. Ram Karan Mann, V.P.O. Rajsthal, Block Naranaund, District Hisar	23-12-67	15-4-68
22	Sh. Jaswant Singh S/o Sh. Maja Singh, V. Their Ramlpur, P.O. Morewala, Block and District Hisar	19-12-67	15-4-68
23	Smt. Shakuntla Rani W/o Sh. Jahangir Singh, V.P.O. and Block Tohana, District Hisar	7-12-67	17-4-68
24	Sh. Mohinder Singh, Kuldip Singh, Tejparkash Singh, Davinder Singh S/o Sh. Mohinder Singh C/o Divisional Forest Officer, Manali House, Ambala City	16-12-67	8-3-68
25	Sh. Sukhbir Singh Lamba S/o Sh. Dalip Singh, V.P.O. Daulatpur, Block Barwala, District Hisar	8-1-68	2-4-68
Mohnidergarh District			
1	Sh. Radha Kishan S/o Sh. Tula Ram, V.P.O. Ranila, Tehsil Dadri, District	24-12-67	24-2-68

	Mohindergarh		
2	Sh. Satinder Singh S/o Sh. Gopal Singh, V.P.O. Pahitwa, Block Charkhi Dardri, District Mohindergarh	9-1-68-68	20-3-68
3	Sh. Umar Singh S/o Sh. Neki Ram, V.P.O. Malposh, District Mohindergarh	19-12-67	19-3-68
4	Sh. Phul Chand S/o Sh. Nihala Ram, V.P.O. Chirya, Block Dadri, District Mohindergarh	18-12-67	16-3-68
Rohtak District			
1	Sh. Kehri S/o Sh. Datta Ram, V.P.O. Bhatgaon, District Rohtak	21-12-67	9-3-68
2	Sh. Balbir Singh S/o Sh. Mohan Lal, V.P.O. Baghotipur, Block and District Rohtak	9-12-67	22-2-68
3	Sh. Kali Ram Sangwan S/o Sh. Jaimal Singh, V. Uran Khera, Block Naudlana, District Rohtak	7-12-67	23-2-68
4	Sh. Udey Singh Dalala, Sarpanch, S/o Ch. Chandgi Ram, V.P.O. Mandothi District Rohtak	13-12-67	9-3-68
5	Sh. Sahab Singh S/o Sh. Nathu Singh Ji, V.P.O. Rattan Garh, Block	8-1-68	29-2-68

	Sonepat, District Rohtak		
6	Sh. Singh Ram S/o Sh. Jogi Ram, Baroda Road, Gohana	13-12-67	29-2-68
7	Sh. Parabhu Ram S/o Sh. Girdhari Ram, V.P.O. Chhara, District Rohtak	11-12-67	13-3-68
8	Sh. Sardar Singh, V.PO. Silaju, District Rohtak	22-12-67	
9	Sh. Bharat Singh S/o Sh. Sauchand, V.P.O. Madina Korsan, Blcok Meham, District Rohtak	11-12-67	1-3-68
10	Sh. B.S. Sawhney S/o Sh. D.R. Sawhney, V. Panchi Gujrran, P.O. Ganaur, Block Ganaur, District Rohtak	19-12-67	6-4-68
11	Sh. Mai Ram S/o Sh. Bakhtwar Singh, V.P.O. Bhagotipu, Block and District Rohtak	6-1-68	29-2-68
12	Sh. Dhup Singh S/o Sh. Ram Sarup, V.P.O. Depalpur, Block Sonepat, District Rohtak	3-1-68	7-3-68
13	Sh. Attar Singh, Chairman, Zila Parishad, Rohtak, V. Batana Jafrabad, P.O. Nahara, Block Sonepat, Rohtak	13-12-67	5-3-68

14	Sh. Jagdish Mittra Malik S/o Sh. Ganda Ram, H.No. 139-R, Model Town, Rohtak	5-1-68	12-3-68
15	Sh. Hukam Singh S/o Sh. Ram Singh, V.P.O. Baroda More, Block Madlana, District Rohtak	8-1-68	29-2-68
16	Sh. Badhlu Ram, V.P.O. Sanghi, Block Rohtak.	14-12-67	22-2-68
17	Brig. Ran Singh S/o Sh. Ram Singh, V.P.O. Dighal, Block Beri, District Rohtak	8-1-68	1-4-68
18	Sh. Dalu Ram S/o Sh. Datta Ram, V.P.O. Pinana, Block Sonepat, District Rohtak	5-12-67	26-2-68
19	Sh. Lakhi Ram S/o Sh. Beli Ram, V.P.O. Udesipur, P.O. Panchi Jatan, Block Ganaur, District Rohtak	10-1-68	1-4-68
20	Sh. Krishan Chander Pannu S/o Sh. Tika Ram, V.P.O. Bichpari, Block Gohana, District Rohtak	7-12-67	13-3-68
21	Sh. Madhu Nanda S/o Sh. V.P. Nanda, Nanda House, Rohtak	14-12-67	26-2-68
22	Sh. Kali Ram Kaniya Lal S/o Sh. Des Ram, V.P.O. Dujana, Block Jhajjar, District Rohtak	21-12-67	13-3-68

23	Sh. Bhim Singh S/o Sh. Pokhar Singh, V.P.O. Sanghi, Block and District Rohtak	7-12-67	28-2-68
24	Sh. Hardwari Lal S/o Sh. Bhai Ram, V.P.O. Ghandhara, District Rohtak	15-12-67	13-3-68
25	Sh. Sahjram S/o Sh. Hem Raj, V.P.O. Rajlu, Blok Ganaur, District Rohtak	13-12-67	9-3-68
26	Sh. Hardwari Lal S/o Sh. Nathu Ram, V.P.O. Chhara, Block Bahadurgarh, District Rohtak	1-12-67	1-4-68
27	Sh. Sitar Singh, Sh Raj Singh S/o Sh. Ran Singh and Des Raj, V.P.O. Dujana, Block Jhajjar, District Rohtak	21-12-67	5-4-68
28	Sh. Sube Singh Dahiya S/o Sh. Rati Ram, V. Thana Khurd, P.O. Thana Kalan, District Rohtak	7-12-67	9-4-68
29	Sh. Bhim Singh S/o Sh. Ratti Ram, V.P.O. Sampla, Block Kharkhoda, District Rohtak	22-12-67	5-3-68
30	Sh. Tarif Singh, Sh. Lek Ram S/o Sh. Chand, V.P.O. Jharot, Block Sonepat, District Rohtak	11-12-67	30-3-68
31	Sh. Bishan Singh and Capt. Bhup Singh, Land Acquisition Collector,	20-12-67	11-4-68

	New Courts, Delhi		
32	Sh. Lehri Singh S/o Sh. Neki Ram, V. Machhrola, P.O. Murhtal, Block Sonepat, District Rohtak	10-1-68	11-4-68
33	Sh. Than Singh, V.P.O. Mandothi, Block Sonepat, Rohtak	1-12-67	5-4-68
34	Sh. Joginde Lal Sapra, 154 Model Town, Rohtak	12-12-68	5-4-68
35	Sh. Ram Sarup S/o. Sh. Tuhiya Ram V.P.O. Nahara, Block Rai, District Rohtak	20-12-67	11-3-68
36	Sh. Harphul Singh S/o Sh. Udma, V.P.O. Bajana Khurd, Block Ganaur, District Rohtak	8-1-68	13-3-68
37	Sh. Rizaq Ram S/o Sh. Sh. Kure, V. Khurmpur, P.O. Nilothi, Block Kharkhauda, District Rohtak	12-12-67	11-4-68
38	Sh. Kanwal Singh S/o Sh. Mansa Ram, V.P.O. Mandhothi, Block Bahadurgarh, District Rohtak	27-12-67	22-2-68
39	Sh. Dalal Singh, Sh. Ram Dhan and Sh. Sukh Lal S/o Sh. Jai La, V. Jatheri, P.O. Narela, Blcok Rai, District Rohtak	20-12-67	16-3-68

40	Sh. Ram Kishan, Om Parkash and Balbir Singh S/o Sh. Kesho Ram, V. Baghru, P.O. Tehar, District Rohtak	27-12-67	5-4-68
41	Major Chattar Singh, V.P.O. Mattan, Block Bahadurgarh, District Rohtak	21-12-67	8-4-68
42	Sh. Godhur Ram, V.P.O. Kharkra, Block Meham, Rohtak.	7-12-67	1-4-68
43	SH. Suraj Mal, Dharam Singh and Zila Singh S/o Sh. Dai Ram, V.P.O. Pakasma, District Rohtak	16-12-67	19-3-68
44	Sh. Suraj Bhan S/o Sh. Chandgi Ram, V. Kheri Sampla, P.O. Sampla, District Rohtak	16-12-67	3-4-68
45	Sh. Digh Ram, V.P.O. Silani, Rohtak	22-12-67	10-5-68
	Jind District		
1	Sh. Hukam Chand S/o Sh. Chandgi Ram, V.P.O. Bibipur, Block and District Jind	16-12-67	1-3-68
2	Sh. Rattan Singh S/o Sh. Kanya Lal, V.P.O. Budha Khera, Block Safidon, District Jind	13-12-67	1-3-68
3	Sh. Krishan Chand Gupta S/o Sh. Kaku Ram, Advocate Narwana,	5-1-68	5-4-68

	District Jind		
4	Sh. Udey Singh S/o Sh. Shiv Lal, V.P.O. Danauda Kalan, Block Uchana, District Jind	7-1-68	2-4-68
5	Sh. Tek Ram S/o Sh. Neki, V. Rajana, Block Safidon, District Jind	6-1-68	8-3-68
Gurgaon District			
1	Sh. Tika Ram Sharma S/o Sh. Sarwan Lal, V.P.O. Khambi, Block Hodel, District Gurgaon	8-12-67	23-2-68
2	Sh. Ram Chander S/o Sh. Bhonder Singh, V. Sultanpur, P.O. Phurakh Nagar, Block and District Gurgaon	13-12-67	16-3-68
3	Maj. Bhim Sing S/o Sh. Sarup Singh, 7th Maharats, M-6 (Borders) C/o 56 7A.P.O.	30-12-67	13-4-68
4	Sh. Bihari Lal Sharma S/o Sh. Sohba Ram, V.P.O. and Block Hathin, District Gurgaon	7-1-68	7-3-68
5	Sh. Hardwari Lal S/o Sh. Ramji Lal, V. Sultanpur, P.O. Phurakh Nagar, Block and District Gurgaon	5-12-67	4-3-68
6	Sh. Abdul Hami and Mohd. Iqbal Shabhnudin Jaimal Ahmed S/o Sh. Nihala, V. Gangwani, P.O. Pingwan,	13-12-67	17-4-68

	Block Punhana, District Gurgaon		
7	President The Kot Co-operative Joint Farming Society Ltd. P.O. Kot, Tehsil Nuh, District Gurgaon	10-1-68	10-4-68
8	Sh. Krishan Sharma S/o Sh. Daya Ram Advocate 24B, New Colony Palwal, District Gurgaon	16-12-67	29-3-68
9	Sh. Chet Ram, Makhan Singh, Siri Ram and Partap S/o Sh. Shoji Ram, V.P.O. Bawar, District Gurgaon	29-12-67	29-3-68
10	Sh. Jagmal Singh, Thakuran S/o Sh. Maluk Singh, V. Khod, Block Pataudi, District Gurgaon	19-12-67	22-3-68
Delhi State			
1	Sh. Tara Chand S/o Ch. Chellu Ram, V. Siraspour, P.O. Badli, Delhi	22-1-68	19-4-68
2	Sh. Ram Saroop S/o Sh. Umrao Singh, V. Holumbi Khurd, P.O. Molumbi Kalan, Block Alipu, Delhi	22-1-68	28-3-68
3	Sh. Baldev Singh S/o Sh. Gordhan Singh, V.P.O. Isapur, Block Najafgarh, Delhi	29-1-68	2-3-68
4	Sh. Dharam Singh S/o Sh. Kaly Ram, V.P.O. Nangal Thakran, Delhi	29-12-67	4-3-68

5	Sh. Chand Ram S/o Sh. Rati Ram, V.P.O. Nangal Thakran, Block Kanjawala, Delhi	26-12-67	4-3-68
6	Sh. Mange Ram S/o Sh. Mahipat, V. Hamidapur, P.O. Tajpur Kalan, Block Alipur, Delhi	22-1-68	4-3-68
7	Sh. Jai Narain S/o Sh. Siv Dayal, V. Samaspur, P.O. Ujwa, Block Najafgarh, Delhi	29-2-68	1-4-68
8	Nath Orchards Admn. Office, 36 Hanuman Road, New Delhi	5-12-67	4-5-68
9	Sh. Bagwan Singh, V.P.O. Mundela Kala, Block Najafgarh, Delhi	8-1-67	28-3-68
10	Sh. Lal Chand S/o Sh. Siri Chand, V.P.O. Khera Khurd, Block Alipur, Delhi-8	13-12-67	1-4-68
11	Sh. Mange Ram S/o Sh. Maman Singh Rana, V.P.O. Bijwasan, Block Najafgarh, New Delhi-1	29-1-68	1-4-68
12	Capt. Kartar Singh Verma S/o Sh. Surjan Singh, V. Rasulpur, P.O. Rani Khera, Block Kanzawala, Delhi	16-12-67	1-4-68
13	Sh. Hazari Lal S/o Sh. Shadi Ram, V.P.O. Khera Kalan, Block Alipur, Delhi	29-1-68	8-4-68

14	Sh. Lachman Singh S/o Sh. Dharam Singh, V. Siraspur, P.O. Badli, Block Alipur, Delhi	22-1-68	1-4-68
15	Sh. Girdhari Lal S/o Sh. Bhonda Ram, V.P.O. Tajpur Kalan, Block Alipur, Delhi	15-12-67	1-4-68
16	Sh. Thandi Ram and Bhim Singh S/o Sh. Kanhaya Lal, V.P.O. Hartal, Block Najafgah, Delhi	5-12-67	24-2-68
17	Sh. Brij Ran Saran Singh S/o Sh. Narin Singh, V. Quadipur, P.O. and Block Alipur, Delhi	22-1-68	12-4-68
18	Sh. Ram Singh S/o Sh. Surjan Singh V.P.O. Hiranki, Block Alipur, Delhi	22-1-68	8-4-68
19	Sh. Pritam Singh and Khiman Singh, V.P.O. Gazipur, Block Sahadra, Delhi-32	22-1-68	12-4-68
20	Sh. Yad Ram S/o Sh. Khusali Ram, V. Bazidpur, P.O. Nangal Thakran, Block Nangloi, Delhi	29-1-68	30-3-68
21	Sh. Jogi Ram, V.P.O. Pehladpur, Block Nangloi, Delhi	14-12-67	17-4-68
22	Sh. Nand Rup S/o Sh. Rula Ram, V. Bamnooli, P.O. Bhulsara, Block Kanjawals, Delhi	29-1-68	10-4-68

23	Sh. Laik Ram S/o Sh. Hari Singh, H.No. 432, Narela, Block Alipur, Delhi	22-1-68	11-3-68
24	Sh. Birbal S/o Sh. Karama, V.P.O. Mukkmelpur, Block Alipur, Delhi	22-1-68	16-4-68
25	Sh. Kanshi Ram Lal, V.P.O. Chhawla, Block Najafgarh, Delhi-30	29-1-68	5-4-68
26	Sh. Mangtu Ram S/o Sh. Budha, V. Kishan Garh, P.O. and Block Mahrauli, Delhi-330	22-1-68	5-4-68
27	Sh. Bhika Ram S/o Sh. Siri Ram, V. Gazipur, Block Shahadra, Delhi-32	22-1-68	12-4-68
28	Sh. Sis Ram S/o Sh. Fateh Singh, V. Sarangpur, P.O. & Block Najafgarh, Delhi	29-1-68	11-4-68
29	Sh. Jage Ram S/o Sh. Chhajju, V. Salahur Majra, P.O. Chandpur, Block Kanjawala, Delhi	29-1-68	5-4-68
30	Sh. Ramji Lal S/o Sh. Ghisa Ram, V. Khera, P.O. and Block Najafgarh, Delhi	29-1-68	17-4-68

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहिब मेरा एक शार्ट नोटिस क्वैश्चन है।

श्री मंगल सैन: पहले उसको पढ़ दे।

श्री राम प्रकाश: आगे तो ऐसा कभी नही हुआ।

श्री मंगल सैन: आपकों तो प्रोसीजर का पता नही है।

Mr. Speaker: I think the honourable Member hav correctly said what the practice was, Shri Om Parkash Garg may, therefore please read out his Short Notice Question.

श्री ओम प्रकाश गर्ग: मेरे पास जो सवाल है वह अंग्रेजी में है अंग्रेजी मै जानता नही और यह अच्छानही लगेा अगर मै उसे गलत पढू।

Mr. Speaker: All right, I will read out the Question on behalf of the honorable Member Shri Om Parkash Garg. It reads.

PRINTING PRESS OF HARYANA

*108. **Shri Om Parkash Garg:** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) Whether Government is considering any proposal to set up a Government Printing Press for Haryana; if so, the name of the place selected for setting up the same;

(b) The present arrangement made by the Government for getting the Government material printed;

(c) Whether the Government printing work is being entrusted to private presses as well; is so, the names of such presses together with the names of the places where such presses located and the names of the proprietors thereof?

Ch. Ran singh: (a) Yes. The place where the Press will be set up has not yet been decided.

(b) At present the printing work of the Haryana Government is being got done from the Controller, Printing Stationery, Union Territory, Chandigarh.

(c) No.

श्री मंगल सैन: क्या मंत्री महोदय की जानकारी मे यह बात है कि इस प्रदेश के रोडवेज की टिकटें पंजाब में छपती है?

श्रम मंत्री: इस सवाल में टिकटों की बात कहां है?

श्री मंगल सैन: छपवाई की बात है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि प्रैस लगाने का फैसला कब तक हो जायेगा।

श्रम मंत्री: इसमे प्रैस लगवाने के बारें में समय की बात पूछी नही नही गई है। यह तो सवाल में पैदा ही नही होता।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हमारे प्रदेश की किताबे किन प्रैसिज में छपवाई जा रही है?

श्रम मंत्री: मैने निवेदन किया है कि सारा छपवाई का जो काम है वक कंट्रोलर आफ प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी को दे देते है। वह कहां से छपवाता है पता नही। यह काम भी प्रैस में ही होता होगा।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: मै मंत्री महोदय की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हरियाणे की किताबों की छपर्वा का सारे का सारा काम पंजाब में हो रहा है। जब हरियाणा में प्रैसिज बेकार पड़ी है। तो वह काम वहां से क्यों नही करवाया जाता?

श्री मंत्री: ऐसी कोई बात मेरे नोटिस मे नही आई। अगर मैबर साहिब मेरे नोटिस मे कोई बात लायेगे तो उसको देख लिया जायेगा। अगर जरूरत हुई तो उसकी इन्क्वायरी भी करवाई जा सकती है।

मुख्य मंत्री: हर डिपार्टमैट छपवाई का काम खुद करवाता है। इसलिए इस बारें मे इन्फर्मेशन वही दे सकते है।

चौधरी चांद राम: मिनिस्टर इंचार्ज ने पहले कहा है कि सरकार का सारा छपवाई का काम प्रिटिग एण्ड स्टेशनरी डिपार्टमैंट के जरिये होता है। अब चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि हर एक डिपार्टमैंट अपना काम करवता है ऐसा मैने पहले कभी नही सुना। सारा काम कंट्रोलर, प्रिटिग एण्ड स्टेशनरी को एंट्रस्ट होता है। पता नही चीफ मिनिस्टर साहिब की सक्रेटरी ने गाइड भी किया है या नही। चीफ मिनिस्टर साहिब को गाइडेंस दी जानी चाहिए।

श्रम मंत्री: छपवाई का सारा काम कंट्रोलर प्रिटिग एण्ड स्टेशनरी का सौप दिया जाता है। यह हो सकता है कि वह रश होने की वजह से कुछ काम प्राइवेट प्रैसिज से करवाते हों। जो

मैम्बर साहिब ने कहा कि हरियाणे मे प्रैसिज बेकार पड़े है और छपवाई का काम पंजाब में करवाया जा रहा है, अगर वह दुरूस्त है तो हम देख लेगे। अगर प्राइवेट प्रैसिज हरियाणे मे बेकार पड़े है तो अगर जरूरत है तो हरियाणे का काम होना चाहिये।

श्री मंगल सैनः मुख्य मंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि डिपार्टमैट्स छपवाई का काम खुद करवाते है मगरा मंत्री महोदय ने कहा है कि सारा काम छपवाई कंट्रोलर, प्रिटिग एण्ड स्टेशनरी के थरू हाता है। इनमैं से कौनसी बात सच है?

मुख्य मंत्रीः आई एम सारी। प्रोसीजर जो मिनिस्टर बता रह`ळै वही होगा। फिर भी चैक अप कर लेगे।

Ch. Chand Ram: May I have a categorical assurance from the Labour Minister that, in future, the printing work of the Haryana Government which, at present, is being done by the printing presses in Punjab, will be ge to done by the Controller, Printing and Stationery, Chandigarh, from the printing press in Haryana State.

Mr. Speaker: The hon. Minister has already given assurance about it.

चौधरी चांद रामः इनके जवाब में है जनाब कि कंसिडर करकें देखेगे लेकिन मै तो केटगौरीकल ऐश्योरेस चाहता हूं।

श्रम मंत्रीः मै ने कहा है कि कोशिश करेंगे कि हरियाणा की प्रसिेज के अन्दर ही छपे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि

छपाई अपने यहां की निपस्बत बाहर सस्ती पड़ती है तो वहां से छपवाना पड़ सकता है लेकिन फिर भी मै यही कहता हूं कि हरियाणा के अन्दर ही छपवाए जो अच्छा है।

श्री ओमप्रकाश गर्ग: अपने सवाल में तो मैने यह कहा है कि आपकी छवाई सारी क सारी पंजाब के अन्दर ही होती है तो फिर सस्ते और महंगे का सवाल बीच में कहां से आ गया?

श्री मंगल सैन: जनाब मंत्री महोदय ने हमारे औरिजिनल सवाल का जवाब मे पहले यह कहा है ''हां'' फिर उसे दूसरे पार्ट में कहा है कि ''नोट येट डिसाइडिड'' मै यह जानना चाहता हूं कि डिसीजन कब तक हेा जाएगा?

श्रम मंत्री: आपने सवाल समझा नही.....

श्री मंगल सैन: समझते क्या जब सुना ही नही.....

श्रम मंत्री: उसमे यह है कि अभी फैसला नही किया कि कहां लगाई जाएगी, इसमें मैबर साहिब को जल्दी करने की जरूरत नही है, कय तो फसला किया जाएगा कि कहा लगाई जाएगी।

चौधरी चांद राम: अभी मिनिस्टर साहिब ने इस के पार्ट ''सी'' के जवाब मे कहा है सारी छवाई कंट्रोलर, प्रिटिग ऐंडस्टेशनरी की मार्फत होती है फिर कहा कि हम इन्क्वायरी करवा लेगें। मिस्टर गर्ग का सवाल यह है कि सारे की सारी छपाई

पंजाब में होती है। मै समझता हूं कि मिनिस्टर ने फैक्चुअल इन्फर्मेशन ने देने की कोशिश की है इसलिए मै पूछना चाहता हूं कि मिनिस्टर मुतालिक जांच करके फिर इस हाउस मे जो फैकचुअल इनर्मेशन होगी देंगे।

Mr. Speaker: Firstly I would request the hon. members that while asking supplementary questions, the should not make long speeches, On the Treasury Benches there are people who are quite intelligent, and will be able to understand and answer the questions.

Secondary, I would like to observe that the hon. Minister has stated that as far as he know the work of printing is done there so long as it is within the capacity of the Press. If, however, there is more work that is being got done from outside, So he has given completed answer to the supplementary.

चौधरी चांद रामः मैने तो सीधा या सवाल पूछा था कि चूंकि जवाब के दोनों हिस्से कंट्रडिक्टरी थे इसलिए क्या मंत्री महेादय फिर से जवाब की रिकसाइल करके इन दी इंट्रस्ट आफ दी स्टेट बताएंगे कि गवर्नमेंट कहा प्रिटिग प्रैस सेटअप करेगी और कभी किस किस प्रिटिग प्रैस में छपाई होती है, इस इनफर्मेशन के लिये में जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय हाउस को कानफिडेंस में लेकर यहां इनफर्मेषन देंगे या कि मिस्टर गर्ग को ही अलक से बतला देगे?

Mr. Speaker: This is exactly what I am telling the hon. Member that the answer to this question given by the hon. Minister has been that as far as he know this printing work was being done in Union Territory Government Press, but there may be cases where the work is got done from private presses when the work was beyond the capacity of the Press ofr the material was needed urgently etc.

Ch. Chand Ram: Thee is a contradiction, Sir, in this answer

Mr. Speaker: I thing this is a very reasonable answer.

श्री मंगल सैन: आप ने जनाब मंत्री महोदय को जवाब देते हुए सुना। मैने पूछा था कि डिसीजन कब हेागा? आपने कहा कि अभी पौसिटी आफ फंड्ज है। मैने पूछा कि जगह कौन सी होगी जहां पर प्रैस लगाई जाएगी? इन्होने कहा कि लग जाएगी कहाले न पड़े तो मै मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आप जवाब देते हुए पीले न पड़ा करे।

श्री फतेह चन्द विज: जनाब इनके जवाब में कोई और ही बात झलकती है। मिनिस्टर साहिब से मेरा मतलब मुख्य मंत्री महेादय स है कि उनहोने कहा कि चंण्डीगढ हरियाणा को मिल जाना है लेकिन मालूम यह होता है कि इन्होने अन्दर ही अन्दर यह फैसला कर लिया है कि चण्डीगढ तो दे ही देना है इसलिए प्रिटिग प्रैस बनाने की तजवीज अभी से शुय कर देना चाहिये।

चौधरी चांद रामः बात तो यह है स्पीकर साहिब, फिर भी इन्हे एम्बैरेस नही करना चाहता क्योंकि यह सवालों और जवागों का प्रोजीजर इनके लिय नया है। पर मै इतना जरूर जानना चाहता हूं कि क्यायह एश्योर्ड है अपने मनमे कि चण्डीगढ़ छोड़ना है।

श्रम मंत्रीः जनाब मेरे दफ्तर में आ जासए मै इनकी पूरी तसलली करा दूंगा।

चौधरी चांद रामः जनाब इनये यह सोचना चाहिये कि सवाल करना हमारा गर्ज है और उसका हाउस में जवाब देना मंत्री महोदय का फर्ज है, लेकन यह बच्चों की तरह बातें करते हैं मै सवालों के जवाब पूरे पूरे यही जानना चाहता हूं आपके दफ्तर में तो आने से रहा। मैने तो यही पूछा है कि क्या चण्डीगढ को छोड़ने का इरादा अभी से कर लिया और अगर नही तो प्रैस इतनी बड़ी यहां पर खड़ी है आपको एक नई प्रैस और किसी जगह बनाने की सोचनें की जरूरत क्यों पड़ी? मै इसका उत्तर चाहता हूं।

Mr. Speaker: I do not think it is fair to ask this supplementary question. Let us be reasonable.

Ch. Chand Ram: Sir, I have great respect for the Chair, but.....

Mr. Speaker: After I have given my ruling, I thing the hon. Member should not insist on his point.

Ch. Chand Ram: All right, Sir,

Question of Privilege

Mr. Speaker: I have received a *Privilege Motion No. 1 given notice of by Shri Mangal Sein, M.L.A. alleging that the Haryana C.I.D. people remain standing around the rooms of the New M.L.As Hostel where the Members of the Haryana Vidhan Sabha belonging to the Opposition parties are staying and also shadow them.

I have ascertained the facts form the Government and have been informed that neither and C.I.D. official is posted around the rooms of any the members of the Vidhan Sabha staying in the M.L.As' Hostel, nor any C.I.D. official has been directed to shadow any M.L.A.

Further the allegation made by the hon. Member in the Privilege Motion are of general nature. He has not been any specific incidence or occurrence by which he or any other M.L.A. Moreover, he has not named any CID man or official. The matter does not involve any breach of privilege, and therefore, I disallow it.

Shri Mangal Sein: Sir, I want to make a submission. I do not challenge your ruling

Chief Minister: How can a member challenge your ruling, Sir?

*Shri Mangal Sein, M.L.A. has give notice of the following Privilege Motion

"That Haryana CID people remain standing around the rooms of the New M.L.A Hostel, where the Members of the Haryana Vidhan Sabha belonging to the Opposition parties are staying and also shadow them. The shadowing of Members like this during the Session days is a breach of Privilege of the Members. I, therefore, want to raise this question of privilege and also want to get this matter referred to Committee of Privileges".

श्री मंगल सैनः स्पीकर सहिबा, अगर आप मुझ इजाजत दे तो मै बता सकता हूं कि हम वहा खड़े होते है ओर वह मारे बची में आकर खड़े हो जाते है। रात के दो दो बजे तक हमारे पीछे लगे रहते है। जिनको हम जानते है उनको कैसे कह सकते है कि तुम कौन हो।

Mr. Speaker: I have given resons in my ruling and if you have anything new to say you are most welcome to do so in my Chamber.

मलिक मुख्तियार सिंहः स्पीकर साहिब जो आप रूलिग दिया है उसकी हम रिस्पैक्ट करते है, लेकिन यह तो वन साइडिड है, एक वर्शन गवर्नमैट की तरफ से आया है, लेकिन अगर आप हमारे साथ चले तो हम आपको दिखासकते है सी.आई.डी. के अफसरों को वहो पर, जिन को कि हम पचाने है जो कि हमारे पीछे लगे रहते है।

मुख्य मंत्रीः वह तो इनसे सिफराशे करवाने के लिय जाते होगे।

मलिक मुख्तियार सिंहः आप एक भी केस बता दो पुलिस अफसर का जिसके लिये हमने सिफारिश की हो।

Mr. Speaker: As I said it is an important matter and I have allowed Shri Mangal Sein to explain the position in my chamber. I am prepared to go into the matter again

चौधरी चांद रामः आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। आनरेबल मैब्र साहिब ने फरमाया है कि दो दो बजे तक हमारे पीछे लगे रहते है, मै जाननाचाहता हूं कि वह रात के दो दो बते तक क्या करते रहते है।

श्री मंगल सैनः बडी दिलस्प बात पूछी मैबर साहिब ने मै उनको बताना चाहता हूं कि हम रात के दो दो बजे तक वही करते रहते जो वह रात के चार चार बजे तक करते रहते है।

चौधरी चांद रामः जनाब अगर इजाजत दें तो मै सब कुछ बता दूंगा कि वह कया कुछ करते रहे और कहा थे।

सूबेदार प्रभु सिहः आप कया क्या करते रहे थे, वह आपको भूल गया है क्या।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहिब मेरी अर्ज है कि जब कभी चौधरी चांद राम को मौका दिया जाए सूबेदार प्रभु सिह का

साथ ही ख्याल रखा लिया करें क्योंकि चांद राम जी के बिना उनको रोटी हजम नही होती।

Call Attention Notices

Mr. Speaker: Call attention Notice No. 14 given notice of by Shri Daya Krishan, M.L.A. regarding submission of bogus Haryana domicile certificate by student hailing from other areas thereby mitigating the chances of admission of the genuine domiciled students, is admitted.

Would the hon. Member please read out his motion?

Shri Daya Krishan: I draw the attention of the Government towards the fact that for the admission to Medical College Rohtak, a number of candidates have submitted bogus Haryana domicile certificates and there by the chances of admission of the students genuine domicile are reduced.

Further the State Government has, instead of increasing, reduced 25 seats in Medical College, Rohtak in spite of the fact that there is a great dearth of doctors in the State.

The Government should make an enquiry into the genuine and bogus domicile certificates field for the admission in Medical College, Rohtak and the non-domicile Haryana should not be given admission in the college. In the meanwhile, stay orders be issued for the admission ot College till such verification or the admissions be made provisionally subject to the verification of domicile certificate.

Further the seats be again increased to 150 so that students getting first class in pre medical should at least get a seat in the College and there should be no disappointment to the students who join Pre-medical classes in future.

Health Minister (Ch. Khursed Ahmed): Sir, the hon. Member has referred to several points.. First of all I will take the matter of submission of domicile certificates. We have laid down that each certificate would be scrutinized and after proper scrutiny if it is found our that there are doubts. If there are any definite instances then he can always bring it to the notice of the Principal or Government and an immediate enquiry shall be instituted. Till we satisfy ourselves that all the certificate are genuine, we do not publish the results. So the question of issuing any stay order does not arise. The procedure is already there. It has been said that the number of seats have been reduced. That is not correct. In fact we have increased the number of seats from 100 to 125 and we are further increasing it to 150. The Government is already seized of the whole situation and if any suggestion is given in this respect it is most welcome. I think this is sufficient.

Mr. Speaker: Call attention motion No. 15 given notice of by Shri Kamal Dev Kapil, M.L.A. regarding the dissatisfaction and resentment prevailing amongst the Transport employees due to the non-implementation of the agreement reached between the workers and the Haryana Government is disallowed as it does not pertain to matter of urgent public importance.

Mr. Speaker: Call attention motion No. 16 given notice of by Shri Chand Ram, M.L.A. regarding the denial of

admission by the Government and privately recognized colleges and schools to students belonging to scheduled castes backward classes to the B.Ed/J.B.T. classes, is admitted. Would the Hon. Member please read out his motion?

Ch. Chand Ram: I draw the attention of the Haryana Government that the various Government and privately recognized colleges and schools are not admitting even the very few students belonging to Scheduled castes/Backward classes to the B.Ed./J.B.T. Classes. I have received a complaint form Hindu College, Sonepat and Kirori Mal College, Bhiwani that students of these classes/castes who have applied have not been admitted on one pretext or the other. As the admissions are going on these days, the Government may be asked to clear the position whether any seats are to be reserved for admission for members of scheduled Castes/Backward Classes in educational institutions.

Chief Minster: Sir, I will make statement on the 30the July, 1968, in this connection.

Mr. Speaker: Call attention motion No. 17 given notice of by Shri Mangal Sein, M.L.A. regarding lifting of the Corridor condition on Buses play between Delhi and Hissar and Delhi and Bhiwani, is disallowed on the ground that it does not relate to matter of urgent public importance.

श्री मंगल सैन: बात ऐसी है कि रोहतक से जो देहली की तरफ बस जाती है उस पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है।

Mr. Speaker: I have considered every aspect before disallowing the motion. If you wish to bring anything further to may notice you may do so in my Chamber.

RESOLUTION

Shri Roop Lal Mehta (Palwal): Sir I be to move-

That this House recommends to the Government that the Central Government may be approached to amend the Hindu Succession Act, 1956 enabling a daughter to inherit in her husbands' or father –in-law's proper instead of claming a share in the proper of there parents

स्पीकर साहिब, हमारा यह हिन्दू समाज लाखों साल की पुरानी सभ्यता के आधार पर कायम है और इसकी बहुत प्राचीन परम्पराये है। हमारी इस हिन्दू सभ्यता में हमारे देश में लड़की को बाप की जायदाद में भाई के साथ हिस्सा नही दिया गया था लेकिन सरकार ने 1956 में ये ऐक्ट पास करके इस पुरानी सम्भ्यता को खत्म कर दिया और लड़की को जायदाद में हिस्सा दे दिया। इस कानून ने हिन्दू समाज के लाखें साल पुराने ढाचे को तहस नहस कर दिया और बहुत सारी दिक्कतें समाज में पैदा कर दी। हिन्दू समाज में भाई बहन का बहुत पत्रित रिश्ता माना गया है। भाई अगर उसे पास पैसे ने भी हो तो कर्ज लकर भी उसकी शादी पर खर्च करता है लेकिन बहन का पूरा मान करता है। यही नही शादी हो जाने के बाद भी वह खर्च करता रहता है। बहन के बच्चों की जब शादियां होती है तब हजारों रूप्ए खर्च करता है। जब तक वह कुनबा कायम रहता है, लकड़ी का बराबर मान किया

जाता है। लेकिन अब भाई बहन के पवित्र रिश्ता में कारी ज़रब लगी है और इस में दरार पड़ गई है। अब इस कानून के बने जाने के पीछे 12 साल में यह हालात हेा गय है कि भाईयों और बहनों के मुकदमें बाजी शुरू हो गई है और कई खानदान मुकदमेबाजी से तबाह हो गए है। भाइयों बहनो में दुश्मनी हो गई है। इससे देहाती जीवन को बड़ी भारी चोट लगी है और खास तौर पर किसानों को कारी ज़रब लगी है। एक किसान की आमतौर पर चार पांच एकड़ जमीन होती है और अगर उसे तीन लड़कियां हुई और तीन लड़के हुए तो फिर हर एक के हिस्सा में पौना एकड़ जमीन आएगी। लडकियां ओर उनके खाबिद दूर दूर से आ कर जमीन का इन्तजाम नही कर सकते है। नतीजा यह होता है कि वज जमीन को बेचते है और गांव में जो दुश्मन हेाते उनके हाथ वह जमीन बेच कर चले जाते है। जब किसान देखता है कि उसकी जमीन का जो पुश्तों से उनके बाप दादा के पास चली आ रही थी किसी दूसरे के पास चली गई है तो उनमें आपस में दुश्मनी शुरू हो जाती है ओर कत्ल होने तक नौबत आती है और घरों के घर इससे तबाह हाते चले जा रहे है। फिर मकानों के झगड़ें हाते है बहन कहती है कि मैने यह लेना है और भाई कहता है मैने यह लेना है। मेरे कुछ भाई कहते है। कि मेरे जैसा आदमी जो हमेशा समाज में समानता के लिये लड़ता आया है उसने ऐसा प्रस्ताव ला कर लड़की को हकूक पर छापा मारा है मेरे जाती विचार चाहे कुछ हो लेकिन मै तो जनता का नुमाइंदा हूं जिन्होने मुझे यहा चुन कर भेजा है तो मेरा यह फर्ज हो जाता है

कि मै उनके ख्याला की रिजमानी यहां हाउस में आकर करूं। इसलिए मैने यह प्रस्ताव पेश करके जनता के जो विचार है उनको जाहिर कया है और मेरा यह फर्ज था कि मै आपने इलाके के लोगों की आवाज सदन के सामन रखूं कि भारत सरकार से कहा जाए वह इस कानून मं तरसीम करें ताकि जो देहती जीवन में हलचल पैदा हो गई है, वह दूर हो सके। मै खुद तो वकील नही लेकिन मैने कई वकील भाईयों से सुना है कि बहुत भारी तादाद में भाईयों और बहनों में कितनी दुश्मनी पैदा हो गई है और जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता था वह खत्म होता जा रहा है और अब वे एक दूसरे को देखना पसन्द नही कते है। मुझे इस बात पर एतराज नही कि अगर किसी के कोई औलाद नरनिया नही है तो बेशक वहां लड़की को बाप की जायदार मिले लेकिन जहां लड़का मौजूद है। वहां उस हालत में लड़की को जायदाद में हक नही मिलना चाहिय। इसके अलावा में इस बात पर भी एतराज नही कि लड़की को जायदाद में हम दिया जाए। हम चाहते है उसे जायदाद मे हक मिले लेकिन वह हक उसे सुसरान में मिले ओर खाबिद की जादार में मिले। इस ऐक्ट ने ता सारे देहाती सामाजिक ढांचे को तहस नहस करके दख दिया है। इससे पैदावार के बढ़ाने में रूकावट पैदा हो रही है। क्योंकि कि जायदार छोटे छोटै टुकड़ों में बटती चली जा रही है। इस लिये मै चाहता हूं कि इस कानून में तरमीम करने के लिय भारत सरकार को कहा जाए और मै समझता हूं कि सारा सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि ऐसा किया जाए। इस प्रस्ताव के बारें में कुछ

संशोधन भी आए है और जो जरूरी है मुझे उनके मानने में कोई इनकार नही है। बहन चंदावती जी का संशोधन आया है कि जो लड.की शादी नही करवती है उसे अपने आप की जायदाद में हिस्सा मिले। मुझे इस पर कोई एतराज नही हैं अगर ऐसा कर दिया जाए इससे कोई नुकसान नही ह। नुकसान तो तब होता है जब छोटे छोटे जमीदारों की थोड़ी थोड़ी जमीन शादीशुदा लड़कियों मे बंटती है जिन पर कि बाप ने शादी के समय काफी पैसा खर्च किया होता है। मुझ पता है कि लोगों ने जिनके पास पैसे नही थे अपनी जमीन बेच कर भी लड़कियों को देहते दिया है और सारा खर्च यिा है। पीछे जो दी चुनाव हुए है उनमें मै सारे गांवों में गया हूं औ लोगें ने इस कानून के बारें में काफी रोना रोया कि इसने उन देहाती जीवन को तहस नहस कर दिया है। मैने उसको समझाया भी कि भाई बाप को वसीयत करने का हक है और वह ऐसा करके सारी जायदाद लड़कों को दे सकता है इसलिए आप यह हक इस्तेमन कर सकते है लेकिन वह कहते थे कि वह अनपढ़ लोग है उनको पता नही कि वसीयत कब करनी होती है और कैसे होती औन उन्हें खाहमखाह अदालतों में घूमना पड़ता हैं बात तो ठीक है कि अदालतों के चक्कर में डालने की बजाए सीधे तौर पर ही यह क्यों नही दिया जाता कि इस कानून में तरमीम कर दी जाए जिस तरह कि मैने प्रस्ताव में लिखा है। इसलिए मै सदन से अर्ज करता हूं कि इस प्रस्ताव को जरूरी संशोधनों के साथ पार कर दिया जाए ताकि देहाती जीवन में जो झगड़े पैदा हो गए है वह दूर हों और भाई बहन का पवित्र रिश्ता

जो लाखों सालों से चला आता है है उसमें कमी न आए और उनमे ंवही प्यार बनर रहे जो कि पहले चला आता है। मुझ उम्मीद है कि इस तरह की आवाज और प्रांतों से भी आएगी जिससे भारत सरकार मजबूर हो जाएगी कि वह इस कानून को अमैंड करें।

इसलिए मै स्पीकर साहिब, सदन से यह दरख्वास्त करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को पास करें। इसमें स्त्री जाति की भलाई है, नुक्सान नही। आज से 12 साल पहले जब केन्दीय सरकार ने यह कानून पास यिा था उसने सारी सामाजिक ढांचे को बिगाड़ा था। इसके बारें में यहां अर्ज करने की जरूरत नही क्योंकि इसका असर सोर हिन्दुस्तान के समाज पर पड़ा। हमें चाहिये कि ऐसे कानूनों को खत्म करके अच्छे वातावरण में आयें। इस प्रस्ताव का पास करके कन्द्रीय सरकार को एप्रोच करना चाहिये ताकि वह हिन्दुस्तान, जो पुरानी परम्पराओं पर कायम था, फिर से उन्ही परकायम हो जाये। इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि अगर इस मौजूदा ऐंक्ट के तहत किसी लड़की को अपने माये से थोड़ी बहुत जमीन मिल ही जाती है तो उसकी अपने भाइयों और दूसरे सम्बनियों में कोई इज्जत नही रहती। उनमें वह प्यार ही नही रहता जो एक किल्ले जमीन मिलने से पहले होता है। अगर इस रैजोल्यूशन को पास कर दिया जाये तो लड़की अपना जीवन इज्जत से गुजारेगी ओर जितने भी दुनिया भर के झगड़े है वे सभी खत्म हो जायेगे। अगर लड़की के माता–पिता और भाईयों–बहनों में प्यार रहेगा ता`सरकार भी अपना ठीक ढंग

से चला सकेगी। नही तो लड़ाई झगड़े होगे, कोर्ट में मुकदमें चलेगे और सरकार का रूपया खर्च होगा और इस तरह सरकार तरक्की नही कर सकती। भाईयों को इस डर से अपनी जमीन बेचनती पड़ती है। कि कही लड़की को हिस्सा न देना पड़े। जिससे कई किस्म के झगड़े पैदा होते है।

मेरी सदन से दरख्वास्त है कि वे इस प्रस्ताव को पास करने में हमारी मदद करें ताकि देहाती जीवन ठीक ढंग से चले। बस मै आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

Mr. Speaker: Motion moved-

That this House recommends to the Government that the Central Government may be approached to amend the Hindu Succession Act, 1956 enabling a daughter to inherit in her husband's or father-in-law's property instead of claiming a share in the property of there parents.

I have received notices of following four amendments to this resolution given by—

1. Shri Jai Singh Rathi;

2. Shrimati Chandrawati; and

3. Shri Maru Singh Malik;

Which will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the resolution:-

1. Shri Jai Singh Rathi—

In line 4 for the word "daughter" substitute the word "women"

2. Shrimati Chandrawati—

At the end the following be added:-

"And that the unmarried daughter shall be allowed to share the ancestral property with sons."

3. Shrimati Chandravati—

At the end the following be added to amended resolutions:-

"The House further recommends that the agricultural land should not come under the so amended Hindu Succession Act, 1956".

4. Shri Maru Singh Malik—

At the end the following be added:-

"and the exempt agricultural land from the application of the Act".

The Hon. Members, who have given notices of these amendments may, however, participate in the discussion if they so desire.

श्री रणबीर सिंह (घरोडा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एक बड़ा अहम मलसा आया है जिस पर मै अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हिन्दुस्तार के

अन्दर पैतृक सम्पति बांटने के दो सिस्टम है–एक दया भाग और दूसरा मिताक्षरा। मिताक्षरा–ला–हिन्दुस्तान के अधिकतर भाग में लागू होता है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, मुम्बई, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के प्रदेशों मे लागू होता है। इस ला के अधीन हारी सम्पति का बंटवारा होता था। यह हमारे ऋषियों–मुनियों के समय ये चलता आया है दय भाग सिस्टम दक्षिण भारत में–मद्रास, बंगाल और केरल पर लागू होता है। इस सिस्टम के अनुसार पैतृक सम्पति माता पिता के मरने के बाद विभक्त होती है जिस पर लड़की का अधिकार भी होता है।

दक्षिणी भारत मं दय भाग सिस्टम निर्धारित होने के बावजूद भी हमारे उत्तरी भारत में पैतृक सम्पति का विभाजन पेट्रियार्कल सिस्टम से होता था। यानी एक बाप के जितने पुत्र होते थे उसी के आधार पर जमीन का बंटवारा होता था। हमारा हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट, जोकि सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने 1956 में पास किया, उसके सैक्शन 8 में लिखा हुआ है–

"The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provision of this Chapter:-

(a) Firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;

इसके हिसाब से एक हिन्दू परिवार की सम्पत्ति लड़के और लड़कियों में बराबर विभक्त हो जायेगी। इससे हमारी हिन्दू

संस्कृति के ऊपर जो उत्तरी भारत में चल रही है, बहुत भारी आघात पहुंचता है। इससे ने केवल हिन्दू परिवार के अन्दर अनेक प्रकार की कठिनाईयां होगी बल्कि तमाम सभ्यता, जोकि आज तक हिन्दुस्तान के अन्दरथी, समाप्त हो जाती है। यह भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। मेहता रूप लाल जी ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसे मै पूर्णतः सहमत हूं और इसका समर्थन करते हुए इस बात कों कहता हूं कि जो शडयूलड 8 है उसे बदल दिया जाए। एक पिता के जितनी भी लड़के होगे उनकी जायदार लड़कों में बराबर विभक्त करने के साथ साथ लड़की का हिस्सा उसे पिता की जायदार से वंचित करके ससुर की जायदार में से दिया जाए। ऐसा करने से हिन्दू परिवार के अन्दर भाई बहन का प्यार बना रहेगा और दोनों परिवार सुखी रहेंगे। इसके साथ ही साथ लड़कियां अपने भाईयों से जो चीजें लेती है उनपरभी कोई खास असर नही पड़ेगा और एक कुटुम्बी परिवार का प्रेम ज्यो का त्यों रहेगा। मेहता जी के रैजोल्यूशन के साथ जो अमेंटमेंट्स बहन चंद्रावती जी की तरफ से आई जो इस तरह है—

"At the end the following be added:-

And that the unmarried daughter shall be allowed to share the ancestral property with the sons".

इस तरमीम के बारे में सदन के द्वारा एक बात आपकी सेवा में कहनाचाहता हूं कि अगर अनमैरिड लड़की को पिता की जायदाद से हिस्सा देगे तसे यह भी एक हाानिकारक चीज हेागी क्योंकि जायदाद का हिस्सा मिलने के बाद अगर लड़की शादी कर लेती है और उसका हस्बेंब बन जाता है ते यह हमारे लिये सोचने वाली बात होगी। इस प्वांयट क बारें में हमाना कानून कोई खास निर्देश नही देता। बहुत सी उलझने पैदा होगी। जिससे जनसाधारण के लिये और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़गा। इसलिये इस संशोधन के बारें में मेरा निवेदन है कि लड़का ही पिता की जायदार का मालिक होना चाहिये, लड़की का कोई हिस्सा न हो।

(इस समय उपाध्यक्षा कुर्सी पर विराजमान हुई)

दूसरे, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस कानून ने फ्रैगमेनटेशन आफ होलिडगज को बढ़ावा दिया है । गांव में पहले ही लोगों के पास छोटे छोट खेत होते है परन्तु लड़किया और लड़कों में हिस्सा बांटने के बाद जमीन के और टुकड़े हो जात है। जहां इस से पैदावार का नुक्सान होता है। वहां एक परिवार और गावं के अन्दर जो प्रेम होता है। उसमें भी बिगाड़ आता है क्योंकि एक शादीशुदा लड़की वही नही रहती जहां के उसे बापकी जायदाद होती है और वह उसे दूर से देख भाल न कर सकने के कारण एक ऐसे व्यक्ति को बेच दिी है जो उसे ज्यादा पैसे देता है चाहे वह कही का भी हो। इसके साि ही साथ इस कानून के द्वारा

भारतीय परम्पराएं, रीति–रिवाज ओवर रूल हो गए है ओर इससे समाज का बड़ा धक्का लगा है। इससे पैट्रिआरकल फार्म आफ सोसाइटी के मैट्रिआरकल फार्म आफ सोसायटी में तबदील होने का भी खतरा है जोकि एक हानिकार बात है।

इन शब्दों को कहता हुआ, डिप्टी स्पीकर सहिाब, मै इय रैजोल्यूशन का समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसे यहां स्पीकाकर करके भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेज दिया जाना चाहिये ताकि हिन्दू सकसैशन ऐक्ट के सैक्शन आठ में तरमीम हेा सके। अमैन्उमेंट का जहां तक ताल्लुक है, उसमे मै सहमत नही हूं। इसके बारमें में मेरा ख्याल यह है कि लड़कियों को उनके सुसर की जायदार मे ंसही हिस्सा मिलना चाहियें क्योंकि उनका अधिकार वही बनता है जहां वे रहती हैं इन शब्दों के साथ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै फिर श्री रूपलाल मेहता जी द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उम्मीद करत हूं कि यह सदन इसे पास कर देगा।

श्री सत्यनारायण सिंगोल (सफीदों): डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके द्वारा मै इस सदन के अन्दर इस रैजोल्यूशन के बारैं मे कुछ बातें रखना चाहता हूं। यह रैजोल्यूशन बड़ा अमह नही है। और मेहता जी ने तो इस बात को खुद भी माना है कि इसके बारें मे वे कोई लीगल नौलेज नही रखते हैं लीगली मरे

ख्याल में, यदि इस रैजोल्यूशन को ऐसे ही पास कर दिया गयातो आज जितनी कमप्लकेशन्ज है। उनसे और ज्यादा इससे पैदा हो जाएंगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो इन्होने लिख दिया कि लड़की को बजाय बाप की जायदार के पति औरउसे पिता की जायदाद में से हिस्सा मिलना चाहिए लेकिन ऐक्ट में और क्या प्रोवीजन्ज है इसका इनको ंपता नही। उसमें तो यह भी लिखा है कि लड़की के बारद, लड़की के लडत्रके को, लड़की की लड़की को, आदि, आदि भी जायदाद मिलनी चाहिय। सिर्फ लड़की को जायदार ने दिए जाने के लिये रैजोल्यूशन पास करने से कुछ नही बनेगा। इसमे ंऔर भी बहुत सी बातें पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी गुजारिश है कि बजाय इस रैजोल्यूशन पर बड़ी लम्बी चौड़ी बहस करने के, अपने हाउस के कुछ एकवोकेंट मैम्बर और दीगर खास खास व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जातनी चाहिए जो तमाम लीगल आसपेक्टस के ऊपर विचार करके इस रैजोल्यूशन को एक नई फार्म देकर इस हाउस के सामने पेश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसे फिर पास करके भारतीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाना चाहिये ताकि वे तमाम बातं जो कि आज रूकावटों और झगड़ों का कारण बनी हुई है वे दूर हो सके। औफ हैन्ड स्पीचे करने से तो हम अपना समय ही बरबाद करेंगे, बनाना बनना कुछ है नही। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे उम्मीद है कि आप और यह माननीय सदन मेरे इस सुझाव से समहम होगा।

चौधरी नेकी राम (नरवाना): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हिन्दू सकसैशन ऐक्ट के मुताल्लिक जो बाते कही गई है वह ठीक है बात यह है कि हमारी पुरानी हिन्दू तहजीब के हिस्सा देने से बड़ा फर्क पड़ता है उसकी बात कही है उनकी जितनी फीलिगज है मै एप्रीशिएट करता हूं। मगर मै यह जरूर कहूंगा कि गावों के अन्दर अभी तक कजरवेटिज्म और इस आत पर अच्छी तरह से प्रचार नही हुआ। नई सभ्यता वहां भी अब पहुंचने वाली है। और वह पहुंच कर ही रहेगी। यह बात ठीक है कि गांवों के अन्दर अब लड़कियों को हिस्सा मिलने लगा है शुरू शुरू मे जब यह ऐक्ट 1956 में लागू हुआ था तो कई जगहों पर बहनों ने आकर मुटेशनज आफिसर के सामने बयान दिये कि उनको भाईयों की जायदार में हिस्सा नही चाहिए। हम ऐसे सैटीमैट्स की सराहना करते है मगर कई दफा बहनों की भी मजबूरियां होती है। लालच सभी जगह है। कई दफा वह ऐसी जगह ब्याही जाती है कि यदि वह हिस्सा न भी लेना चाहती हो तो उन के पति या दूसरे रिश्तेदार उन्हे हिस्सा लेने पर मजबूर करते है ओर बाज दफा बाद में वह जमीन बेच दी जाती है जिससे झगड़े ओर मुकदमें बाजी शुरू हो जाती है। हर गांव मे ंदुश्मनी भी होती है। दुश्मन खानदार के दामाद का उकसाते है और लालच देते है कि वह उसे जमीन की ज्यादा कीमत देगे। वह फिर लालच मे आकर खानदान के दुश्मनों को जमीन बेच देता है जिससे मुदमें बाजी होती है।

ऐसे हालात में भाई ओर बहिन का रिश्ता भी कठिन हो जाता है मैने अदालतो ंमें ऐसे मुकदमें देखे है कई दफा मैने खुद पढ़ा है और देखा कि कोर्ट में भाईयों ने बहिनों का डिसओन किया है।

यह ठीक है कि सैक्स की बिना पर लडत्रके में या लड़की में कोई डिस्क्रीमिनेशन नही होनी चाहिए ओर किसी को अपनी राइट्स से महरूम नही होना चाहिए। यह प्रिसिलपन बड़े जोष में ऐक्सेप्ट कर लिया गया और हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट के रूप में उस पर अमल भी किया गयाहै। यह वाकई रैवोल्यूशन था। भारत में लोगें की नई नई भावनाएं थी और नया नया जोश था इसलिए यह ऐक्ट पास हो गया। और ठीक था उनको हक मिलना चाहिए मगर यह भी सच है। कि इससे विलेज इकानामी पर बड़ा भारी धकका लगा। वैसे यहां की महिलाएं खुशकिस्मत है कि उनाकें इंगलैड की महिलाओं की तरह मूवमेंट नही चलानी पड़ी। इंगलैंड में तो वोट देने के लिए भी महिलाओं को हक नही थी। और उसके लिए उन्हें बड़ी जदोजहद रनी पड़ी मगर यहां तो वैसे ही मिल गया हालिंकि कुछ बहिनं वोट का अधिकार लेना भी नही चाहती हों फिर भी उनको ंदिया गया। कही कही तो फौरेन कंट्री मे ंवोट का अधिकार महिलाओं को अभी मिला है। अब यह जो कहा जा रहे है है कि उनको ंपति की प्रापर्टी मे या फादरइइनला का प्रापर्टी मैं हिस्सा मिले यह भी काम्पलीकेशंज से खाली नही है। अगर किसी के दो लड़के है। एक की शादी हो चुकी है मान लीजिए ओर दूसरे को नही हुई इतने में फादर की डैथ हो गई तो

क्या होगा कि जायदार के तीन हिस्से होगे। एक तो लड़के को और दूसरा दूसरे लड़के को ओर तीसरा लड़के की पत्नी को। ठीक यह तीन हो गए लेकिन अगर कुंवारे वाले लड़के ने शादी की तो उसकी पत्नी को कहां से हिस्सा मिलेंगा? यह कोई सीधी सादी बात नही है इसके अन्दर प्रैक्टीकल डिफीकल्टीज है। मै समझता हूं कि सदन के विचार सैंटर को भेज दिए जाएं वह गौर कर लेंगे ओर जैसा चाहेगे वैसा करेगे। मै समझता हूं कि अगर कोई ऐसी अमेंटमेंट कर दी जाए कि जो ऐगीकल्चरल लैड हो वह चाहे देहात की हो शहर की हो उसके एग्जम्पट करके कुछ कानून बना दिया जाए तो अच्छा हेागा। इसमे जो रूरल है और बरबन हाक सवाल उठाया जाता है यह ठीक नही है। एक ऐसा कानून बनान से हो सकता है कि हमारी बहिनों को कुछ तकलीफ मालूम हो तो कुछ और इस तरह से कर लिया जाए कि जमीन तो भाइयों के पास रहे लेकिन उनको उसकी आमदनी मे से कुछ कम्पनेसेशन के तौर पकरकुछ मिलता हरे मेरा मतलब है कि कानून कुछ ऐसे ढंग से बनाया जाए कि जिससे बहिने को संतोष होत रहे। तब तो यह ठीक है लेकिन अगर आउटराईट इसको रिजैक्ट किया जाए तो ऐक्सेप्ट किया जाए इसके हम में मै नही हूं। मै तो यही कहूंगा कि सैटर को यह राय भेज दी जाए और उनके बैटर और साउ जजमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाए। यह रैजोल्यूशन मौजूदा शकल में ऐक्सैप्ट करने के काबिल नही है।

चौधरी जोगिन्द्र सिंह (नारनौद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट के मुताल्लिक जो रैजोल्यूशन इस हाउस में पेश है उस पर मैने अपने बुजुर्गों के विचार सुने। लड़कियों की पहले जमाने मे बहुत इज्जत थी। मां बात जब तक जीवित रहते थे तब तक वे इज्जत करते थे और उसे बाद भाई इज्जत करते थे और एक पुश्त नही दो दो तीन पीढ़ी यह रिश्ता चलता रहता था।

मित्तल साहिब ने कहा कि लडत्रकी कुवारी हो तेा उसका हिस्सा भाईयों के साथ ही होना चाहिएह। तो वह तो रहेगा ही अगर किसी के पास पच्चास किले जमीन हो ओर पांच छः भाई बहिन हां तो वह क्या करेंगे वह तो साथ ही रहेगे। जब शादी हो जाए तो उसे बाद भी मेरी राय यह है कि लडत्रकी का हिस्सा ससुराल में मिलना चाहिए। पहले भी होता था। जहां तक यह बात है कि किसी लड़की का खाविन्द उसे ठीक से नही रखता तो उसका भी कानून था कि ऐसी लड़की को खर्चा मिल जाता था। और अगर दुर्भाग्य से किसी लड़की का खाविन्द मर जाता है तो यही होता था कि उसे भाई ही उसे पालते थे। इसलिए यह जो अब कानून बना हुआ है इसके कारण तो ऐसे संबंध बनते ज रहे है कि कोई बहिन की शक्ल तक देखना पसन्द नही करता। मदद ता दूर रही।

आम तौर पर गांव मे एक ही गोत के लोग रहते है और सारे एक दूसरे को बहन भाई समझते है अगर ज्यादा गोतों के लोग एक गांव में बस जाएं तो उतनी ही ज्यादा कुरप्शन बढ़

जाएगी। इसलिए मै समझता हूं कि जायदार में जो लड़कियों का हिस्सा है यह किसी लिहाज से भी ठीक नही है। पुराना इतिहास बताताा है कि पहले लोग बहनों के लिए जान की बाजी तक लगा देते थे लेकिन यह जो जायदाद मे ंहम देने का कानून बना था उसकी वजह से बहनों भाईयों का प्रेम बिल्कुल खत्म हा गया है उसैर उनकी आपस में मुकदमेबाजी चलती है। अगर कोई लड़की शाद न करवाएगी तो आटोमैटीकली उसका हिस्सा भाईयों को चला जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इतना कह कर मै आप का शुक्रिया अदा करता हू।

श्रीमती शारदा रानी कुंवर (बलभगढ़): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै इस रैजोल्यूशन की फेवर में कुछ कहना चाहती हूं और जो इस मे अमैडमैट्स आई है उनकों भी मै स्वीकार करती हूं। जब हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट पास किया गया तो उसे पीछे यह बात थी कि भारत में औरतेों की कंडीशन अच्छी बने। बड़ी अच्छी बात थी स्त्रियों की तकलीफौं को देखते हुए, उने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उनकों पिता की जायदाद में और सुसराल की जायदाद में भी हक दिया था लेकिन जब वह चीज अमल में अई तो यह अच्छी साबित नही हुई। आप जानते है कि हमारी समाज का ढांचा ऐसा है कि हम लालच नही छोड़ सकते। जहां तक महिलाों का सवाल जै वह मो हमेशा कुर्बानी करती आई है चाहे पति के लिए करें या भाइयों के लिए करें लेकिन जेा आपोजिट

सैक्स है वह इतनी कुर्बानी नही कर सकता। जब हमारी समाज किसी चीज को आता हुआ देखती है तो उसको वे लोग छोड़ने की हिम्मत नही कर सकते और जब किसी चीज को जाता हुआ देखते है तो कोशिश करते है कि उसकों पकड़े रखने की। तो नतीजा यह होता है कि इससे रीएक्शन होता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर बहन की शदी में दहेज दिया जाता है तो दूसरी तरफ भाईयों की जब शादी होती तो उनकी बीबियों आपने साथ भी लाती है, तो इस तरह से यह लेने देने का लालच जरूर चलता रहता है।

उपाध्यक्षाः आप इसके पक्ष में बोल रही है या इसके खिलाफ कह रही है।

श्रीमती शारदारानी कुंवरः मै तो पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि मै इसके पक्ष में बोल रही हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जातनी है कि किसी भी शादीशुदा स्त्री का जीवन पति के साथ होता है और अगर वह हम ख्याल न हो, पति–पत्नी को सन्देह की दृष्टि से देखे और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता हैं इसलिए पति अगर पत्नी को कहे कि तुम भाईयों जा कर जमीन का हिस्सा बाट कर लाओ ंऔर वह न जाए तो पति नाराज होता है ओर अगर वह उसका कहना मान कर चली जाए

तो फिर भाई उसको घृणा की दृष्टि से देखते है। तो इससे उसको दोनों तरफ से ही मुश्किल पेश आती है। इसलिए मै समझती हूं कि लड़कियों को बाप की जायदाद में हक देने का जो कानून है यह अच्छा और फायदेमंद साबित नही हुआ। मैडम, आप जानती है कि पार्लियामैंट में एक दफा यह प्रस्ताव अयाथा कि जमीन को कनसालिडेटिड रखा जाए और जमीन उसक आदमी के पास करह जो उसको जोते ओर जो लड़के लिख पढ़ कर बाहर नौकरियों करने चले जाएं उनकों बाप की जमीन में कोई हिस्सा न मिले। यह चीज इसलिए आई थी कि जमीन टुकडे टुकड़े न हो और कनसालिडेटिड रहे। अगर बहनो ंका भी जमीन में हक बना रहे ता जमीनके और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते है। और यह सब इस देश की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। इसलिए यह कोई अच्दा कानून नही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर कोई हिस्सा नही लेती तो वह अपने पति की नफरत का शिकार होती है, अगर किसी औरत को अपनी घर में प्यार और आराम नही मिलता तो उसकों हमारी समाज मे ंऔर कही नही मिल सकता। तो इससे औरतों को बजाए सुख मिलने के उल्टा दु:ख हुआ हैं ऐसे उदाहरण भी है कि जहां पति के कहने पर पत्नी ने जब जमीन का हिस्सा बआ कर बेचा तो भाईयो ंने उस बहन को बेच कर वह पैसा पूरा किया। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हर लिहाज से इस कानून को फायदे की बजाए नुक्सान हो रहा है। इस कानून को रखने से समाज मे ंऐ ओर बहुत बड़ी खराबी पैदा हो गई है, वह यह ळै ि कजो अच्छे योग्य लड़के है वह और उसके

माता–पिता उन लड़यिकों से शादी करना चाहते है। जिनके मां बाप अमीर है और जो गीरब मां बाप की अच्छी और हर लिहाज से योग्य लड़यिकों है उनके साथ कोई भी योग्य लड़का शादी करवाने के लिए तैयान नही होताहै। इस प्रकार गरीब लड़कियेां को असंगत विवाहों का शिकार होकर दु:ख उठाना पड़ता है। इस बुराई को दूर करने के लिए यह जरूर ीहै कि इस कानून को न रखा जाए और समाज में इसकी वजअ से जो महिलाओं की त्रस मिल रहा है उसको कम किया जाए। यहां पर कहा गयाहै कि अगर पति मर जाए तो उसकी पत्नी का क्या होगा? मै कहती हूं कि अगर दुर्भाग्य से किसी औरत का पति मर जाता है तो उसे अपने पति की जायदाद से हिस्सा लेना चाहिए न कि अपने भाईयों की जमीन से । जब तक पति पत्नी सांझे रहते है तब तक बांटने का प्रश्न पैदा नही होता। इस कानून ने बजाए लड़कियों के जीवन को सुखी बनाने के उल्टा दुखी बनाया है इसलिए मै चाहती हूं कि इस कानून को हआ दिया जाए ओर इस रैजोल्यूशन को पास कर दिया जाए।

श्री दया कृष्णः डिप्टी स्पीकर साहिबा जो रैजोल्यूशन आज इस हाउस के सामने आया है और जिस फॉर्म में अया है यह नाकस है और अगर इसी रूप में इसकों पास कया गया तो इस से तमाम हाउस का मजाक उड़ेगा। इसकी जो वर्डिग है वह यह है:

"to amend the Hindi Succession Act, 1956 enabling a daughter to inherit in her husband's or father-in-law's property instead of claiming a share in the property of her parents"

पहला पैरा तो एनेबिलिग है कि लड़की जो है उसको फादर–इन–लां की प्रापर्टी से हिस्सा मिलना चाहिए। यह कानून तो इस वक्त भी मौजूद है, इसलिए इसका कोई फायदा नंही। यह जो उसक आखरी फिकरा रहेगा तो इसमें कई हालतों में उसकों हक मिलता है। इससे पहले भी अगर उसका भाई नहीं होता तो उसे हक मिलता था। इसमें लिखा है किः–

"...instead of claiming a share in the property of her parents."

अगर यह फिकरा रह जाए तो उस लड़की को भी हक नही मिलता जिसका कोई भाई नही हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव मे ंकई ऐसे फला है जिनकों दूर करना चाहिए और उसके बाद इसे पास करना चाहिए। अब जिस स्पिरिट के तहत यह प्रस्ताव पेश किया गया है उसे बारे में मै कुछ कहना चाहता हूं। इस ऐक्ट के पास होने से पहले हरियाणा में दो किस्त के कानून थे। एक जरायती पेशा वालों क लिये थेा ओर दूसरा गैर–जरायती पेशा वाले हिन्दु ला से। पहले केस में जब कोई मरता था तो लड़की को कोई हक नही मिलता था। लेकिन अब 1956 से बाद

जब से यह ऐक्ट बना है जब कोई मरता है तो दोनों सूरतों में लड़के और लड़की दोनों को हम मिलता है। यह हक मेरे ख्याल में इसलिए दिया गया है कि लड़की का दर्जा और स्टेटस समाज में लड़के के बराबर दिया जाए (इस समय श्री अध्यक्ष ने कुर्सी ग्रहण की) जैसा कि बाकी दुनियां में और दूसरे मजहबों मे है। उनमें लड़की को लड़के को लड़के के साथ बराबर हक दिया मुताबिक, जो हमेशा से कायम रही है। आपस मे प्रेम से रहने का जो तरीका है वह यही मांग करता है कि इस कानून में तरमीम आनी चाहिए। खासतौर जब से यह ऐकट वजूद में आया है, जिसे तकरीबन बारह साल हो चुकी है, उसी वक्त से किसानों के अन्दरर काफी परेशानी और बेचैनी पाई जाती है। वे इस बात को मानने के लिए हरगिज तैयार नही है कि लड़की अपने ही घर में बहू बनकर रहे। इसका काफी एतराज है और जब हम लोग बहर जाते है, इलैक्शन के दिनों में भी फिरे है और वैसे भी जब कभी मौका मिलता है तो इधर उधर आते जाते ही है, तो देखने को मिलता है कि हरियाणा का किसान इस चीज को बहुत बरा समझता है। तो मै समझता हूं कि ऐसे ऐक्ट को, जो लोगों में बेचैनी का कारण बना हुआ है। और हिन्दू तहजीब के विरूद्ध हो, वजूद में रखने से कोई फायदा नही है। वैसे भी इस ऐक्ट को बनाते समय लोगों के जजबात को ध्यान में रखने की कोशिश नही की गई है। इसलिए मै पुरजोर अलफाज में कहना चाहता हूं कि हिन्दू सकसैशन ऐक्ट का वर्तमान शक्ल में लागू रहना ठीक नही है। यह बात तो ठीक है कि जिस लडत्रकी के भाई न हो,

बाप के मरने के बाद सारी जायदाद उस लड़की को मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उसे फजूल ही हडप न कर जाए। इसके अलावाा इस बात के भी मै हम में हू कि यदि कोई लड़की शादी न करा करके अपने भाई और बाप के साथ ही रहती है तो उसे भी बाप की जायदाद में से हिस्सा मिल जाना चाहिए। लेकिन इस ऐक्ट के तहत जब लड़कियों को हिस्सा मिला भाईयों को नाराजगी हुई और बहुत से झगड़े और हा रहे है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिन लोगों ने यहां कहा कि कोई झगड़े नही होते, उन्होने यह बिल्कुल गलत कहा है। गांव के अन्दर आज बहुत से झगड़े ओर लड़ाइया इन्ही कारणो से होती है। लड़किया ंकई बार तो अपनी जायदाद को ऐसे आदमियों को बेचकर जाती है जो उनके भाई और बाप के कट्टर दुश्मन रहे हो, जा उनके खानदान को मिटाने का हमेशा इरादा रखते हो। इन हालात में डिप्टी स्पीकर साहिबाा, आप अन्दाजा लगा सकती है कि क्या कुछ घटनाएं घटती होगी।

यह सीधी सी बात है कि हमारी हिन्दू तहजीब के खिलाफ है। इस बिल को खत्म करना चाहिए जो इनमैं कुछ बातें रखी गयी है उनमें कुंवारी लड़की वाली बात कुछ ठीक समझ में आ सकती है। उसको हम मिलना चाहिए या जो अपने बाप की इकलौती बेटी हो उसकों हक मिलना चाहिए बाकी हिन्दू तहजीब के मुताबिक हमें यह सोचना है ओर देखना है कि जो हमारी बहिने है, लड़कियां है उनको ंहमेशा इज्जत देनी है और आज तक हम इज्जत देते रहे है, हमेशा उनकों एहतराम की निगाह से देखते

रहे ळै। बाप बड़ी शानोशौकत से लड़की कीशादी करत है, उसे पर काफी पैसा खर्च करता है ओर भात दिया जाता है, छूछक दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हिन्दू तहजीब में उनको बडी एहतराम की निगाह से देखा जाता हैलेकिन जब इस बटवारे से जमीनें तकसीम हो जायेगी, उन किसानों के पास थोड़ी जमीनें रह जायेगी, इससे ता उनको काफी फर्क पड़ेगा।

हमारे यहां गावों में अलग अलग गोत होते है। इऐसी खांपे भी होती है उनमें गावों के गांव एक ही गोत के होते है यानी चालीस चालीस गांव एक ही गोत के होते है वे एक ही दादा की औलाद होता है। उनका एक ही तरह का रहना सहना होता है। अगर यह जमीन की तकसीम का सिलसिल बन जात है ओर दूसरे लोग वाहं आ जो है, उनका वहां न गोत मिलेगा, न बात मिलेगी और लड़की को वहां रहने में शर्म भी आयेगी। अब जा लड़की वहां रहेगी वह वाहे की बहू बन कर कैसे रहेगी, क्योंकि वह तो उस गांव की लड़की है। इसलिए हरियाणा का बहुत बड़ा तबका इस ऐक्ट से नाराज है। मै कहता हूं कि जहां पर इस ऐक्ट का बनाकर और इतने रोज तक लागू रखा है अेर चालू रखा है आज इसकों खत्म करने की बड़ी जरूरत है। और खत्म करने से ही यह नाराजगी औ परेशानी खत्म हो सकतीहै। वैसे तो यह ठीक है इस ऐक्ट में वसीय का सिलसिला भी भा। मै सब–रजिस्ट्रार रहा हूं तौ मैने तो लोगों को बताने की कोशिश की कि बेशक कानून बन गया है, ऐक्ट मौजूद है लेकिन फिर भी बाप अपनी

जयदाद का हिस्सा नही देना चाहतातो इसके लिए वसीयत करा दे उस वक्त इसकी फीस 21 रूपये लगती थी।अब कुछ बढ़ा दी गयी हैं तो उसमें बाप वसीयत करा दे तो लड़की को कोई अधिकार नही रहता। वह लड़की की शादी करेगा ओर उसे लिए सब कुछ प्रबन्ध करेगा और जा हमारे रिवाज है उनको करेगा लेकिन लड़की उस जायदाद में हिस्सेदार नही बननी चाहिए।

बात बड़ी सीधी है मगर फिर भी लोग उलझन मे पड़े रहते है, अनपढ इलाका है, बहुत लोग समझते नही है लेकिन लोगों को यह कहना कि यह कानून जा बनाया है किसानों को नुक्सान पहुंचाने के लिए, जमीन किसानों की तक्सीम करने के लिए और उनको ंकमजोर करने के लिए बनाया गया है। यह सारी बातें गलत है। कांग्रेस ने एसा नही किया कि कांग्रेस को ही इसमें नुक्सान पहुंचा है। यह एक धार्मिक मामला है। इसमे ंमै समझता हूं ज्यादा दखल अन्दाजी करने की जरूरत नही है। इसलिए मै ज्यादा तफसील में न जाता हुआ यही कहूंगा कि यह जो ऐक्ट है इसके अन्दर तरमीम होनी चाहिये ओर उसी तरीके स`होनी चाहिए जिस तरीके से पहले इस ऐक्ट क लागू होने से पहले थी जो हमारी लड़कियों के जा रस्म रिवाज है जो पहले कानून थे हमारी संस्कृति मे उसे मुताबिक होनी चाहिए।

मेजर अमीर सिंह (बाढड़ा): डिप्टी स्पीर साहिबा, मुझे इस हिन्दू विरासत एक्ट की बहस मे कई दफा हिस्सा लने का मौका मिला है और हमेशा खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात होतीह हे। रैजोल्यूशन पेश होता है और उसे बाद देखा गया है कि या तो ट्रेजरी बैचिज की तरफ से उसकां कनक्लूड नही होने देते या और दूसरी अड़चने पैदा कर देते है या एशोरेस के साथ विदड्रा करवा दिया जाता है, गोया पास नही होने देते! मै य हरैजोल्यूशन निहायत जरूरी समझता हूं और श्री रूपलाल मेहता जी को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होने इसे हाउस के सामने लाने का यत्न किया लेकिन पास आज भी नही होगा यह मेरा डर सच्चा निकलेगा। इस बिल ने हरियाणा को जितना नुक्सान मुमकिन हो सकता था उतना नुक्सान पहुंचाया है ओर अगर यह बिल इसी तरह से लागू रहा ा हमारी गांवों वालां की समाज का ढांचा बिल्कुल खराब हो जायेगा। अगर शहर के आदमी कोई इससे प्रोवाइजो रखना चाहते है तो रख ले मुझे एतराज नही लैकिन गांवों में तो अमूमन एक ही गोत के आदमी एक गांव में होते है है, वहा इससे गड़बड़ हो गयी है, अगर एक दामातद गांवों मै रहता है तो उस गांव का सामाजिक ढांचा ही बिगड़ जाता है। मै इस बात के हक में हूं कि लड़की को जायदाद में राईट मिलना चाहिये लेकिन जब लड़की के ससुर की जायदाद में से उसे हम मिल जाए ता फिर बाप की जायदाद मे से क्यों मिले।

इसलिए मै इस प्रस्ताव को समर्थन करता हूं और ट्रैजरी बैचिज आज इसकों प्रोलोग नही हाने दे। दूसरे बहन ओम प्रभा जी बैठी है वे इसकी मुखलिफत करेंगे। उनका नजरिया दूसरा है वह शहरों के लिए प्रोवीजो रखवा लें लेकिन कम से कम गांवों वालों न मारे। इस काल बिल में यह भी दर्ज है कि अगर एक बाप के तीन लड़के है ओर उनमे ंसे एक लड़का मर जाता है बाप की हयात में तो उसे लडत्रके की औलाद की बाप की मौत के बाद जायदाद मे ंकोई हिस्सा नही मिलेगा। यह हमारे समाज के रिवाज के बहुत खिलाफ बात है। इसलिए भी इस कानून से छुटकारा हासिल करना बहुत जरूरी है। अगर इस कानून को बदला नही गयातो हरियाणा खुशहाल नही हो सकता। आगे के लिए यह गैर–जरूरी जमीन का बंटवारा बन्द होना चाहिए ओर इस प्रस्ताव का पास होना निहायत जरूरी है। कुद भाईयां ने तरमीमों के जरिये सुझाव दिय थे मुझ उनके अडौप्ट किए जाने में कोई एतराज नही है अगर ऐसा करने में कोई कानूनी अड़चन न हो तो यह इसी सैशन में पास हो जाना चाहिए चाहे हमें एक दिन फालतू इसक लिए बैठना पड़े। इसलिए अपनी ट्रैजरी बैचिज वाले भाई इसे पास करवाने के लिए अपनी सरकार पर दबाव डालें इस बिल के पास हो जाने से हरियाणा की बड़ी भरी सेवा होगी।

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, यह जो प्रस्ताव पेश किया गयाहै हमारे मित्र श्री

रूपलाल मेहता की ओर से जहां तक यह मौजूदा शक्ल में है, मुझ क्षमा करेंगे अगर में कहूं कि यह डिफैकटिव है । इसका मतबल तो यह हुआ है कि लड़की किसी हालत में अपना हिस्सा नही ले सकती क्योंकि इसमे लिखा है:

"enabling a daughter to inherit inhere husband's or father-in-law's property instead of claming a share in the property of her parents.

इन्होने प्रिसपोज कर लिया कि लड़की शादीशुदा भी होगी, उसका पति भी होगा और उसके ससुर की जायदाद भी जरूर होगी जिसमें से वह हिस्सा ले सकेगी। मै समझता हूं कि उनके दिमाग में यह बात है कि भाईयों की मौजूदगी में लड़की को हिस्सा नही मिलना चाहिए। मै बताना चाहता हूं कि लड़की को हिस्सा तो ओरिजनल हिन्दू ला में भी मिलता ाि। इस कानून के अनुसार ज्वायंट फैमली का अलग स्थान है। जहां तक सैल्फ एक्वायर्ड प्रापर्टी का ताल्लुक है उसमें लड़का, लडके का लड़का ओर फिर उसके लड़के का हक होता था। अगर यह न हो तो उसकी अपनी बेवा और उसके बाद उसकी लड़की हो हक होता था। लड़की को पहले भी जायदाद मिलती थी लेकिन वह उस हालत में जबकि उस का भाई, भतीज या उसका लड़का नहो। जिस शक्ल मे ंयह प्रस्ताव आया है अगर इसको इसी फार्म मे ंपास कर दिया जाए तो उसका मतलब यह होगा कि लड़की को किसी हालत में जायदाद नही मिल सकेगी। मेरे ख्याल में मूवर की यह मंशा नही है। सवाल यह ै कि भाई की मौजदूगी में बहिन को

हिस्सा मिलना चाहिए या नही। मै समझता हूं कि इस सिलसिले में दोनों साईड्ज से काफी दिक्कते है। इस मामले पर कई दोस्तों से बहस ओर विचार हुआ है। अगर एक आदमी के दो लडत्रके ओर दो लड़किया है जिन में एक शादीशुदा है ओर दूसरी कुंवारी ओर वह आदमी मर जाता है तो उस वक्त दो लडक्रकों और एक कुंवारी लडकी के हिस्सों के बारें में क्या पोजीशन होगी। क्या लड़की को हिस्सा बिल्कुल न दिया जाये। मान लिया जाये कि वह शादी नही करवाती और कुंवारी रहना चाहती है। ऐसी कई मिसाले आज तक मौजूद है, अगर उसकों अपने पिता की जायदार में हिस्सेदार नही बनाया जाता और उसकों अपने भाईयों के रहम कपर छोड़ दिया जाता है, चाहे वह उसको रोटी व कपड़ा दे या न दें तो मेरे ख्याल मे ऐसा ठीक नही होगा लेकिन अगर उसको हिस्सा दे दिया जाता है ओर व हएक साल के बाद शादी करवानाचाहती है तो कैसी अकवर्ड पोजीशन बन जायेगी। भाई या तो यह कहेगा कि शादी करवानी है तेा जो हिस्सा उसने लिया था वापिस कर दें या शादी न करवाये। दोनो सूरत में आक्वर्ड पोजीशन बन जाती है। ओर बड़े निर्दयता का व्यवहार हो जाता है हमारी पुरानी संस्कृति ठीक है उसमे महिलाओं की बड़ी इज्जत की जाती हैं हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जहां महिला न हो वहां देवता वास नही करते और यहां महिला है वहा देवता लोग भी वास रकते है हमारे इतिहास मे आज भी उन महिलाओं का नाम आता है जिनके आगे सिर झुकता है महारानी अहिल्या बाई होलकर कितनी पवित्र आत्म थी। उस वक्त के मुस्लिम हिस्टोरियंज

ने भी उनके चरित्र की प्रंशसा की। रानी लक्ष्मीबाई आफ झांसी भी कितने ऊंचे आदर्श की महिला थी। ऐसी और भी कई महिलाई है जिन के नम पर सिर झुकता है। अगर आजकल के लिपस्टिक की सभ्यता के जमाने में सिर्फ उनको इज्जत के नाम पर और उनको जायदाद में हिस्सा न देकर संतुश्ट करना चाहें तो यह मुश्किल सा होगा। चाहे हम इसको वेस्टर्न सभ्यता कहे या कुछ और मगर हर कोई महिला इकनामि इंडिपेंडेस चाहती है। अब वापिस जाना मुश्किल होगा। तुलसीदार जी की रामायाण मे ंतो यह भी जिक्र है–

''ताड़न के अधिकारी'' (विघ्न)

मै इस को यही छोड़ता हूं ओर पूरा नही कता। जब मै कालिज में पढ़ा करता था तो मैने देखा कि इलाहबाद में लड़कियों ने रामायाण के उस पेज को ही फाड़ दिया जिसमें यह चौपाई थी बड़ी रिजैटमेंट हुई।फिर स्व० महात्मा गांधी ने भी टीका टिप्पणी की थी और ऐक्सप्लेन किया था अगर उनकी टिप्पणी का भी यह अर्थ नही था कि स्त्रियों को उनके हु से महरूम रखा जाये अब जमाना बदल गया है। पूजा पाठ का जमानाचलागया है ओ लिप्सिट वगैरह का जमाना आ गया है। अगर हम पुराने जमाने मे ंरहते ते इतनी बहनें सदन मैं न होती मेरे सामने दाएं बाएं सारी बहनें है ''केननअ राइट, केनन टू लैफ्ट, केनन इन फ्रन्ट ओर कैनन बैक में देखने में नजर नही आती। अगर आज कल जमाने मैं महिलओं को सिर्फ इज्जत के नाम पर सतुष्ट रखे ओर उन्हें

जायदाद में हिस्सा न दै ो चल नही सकतेक्योंकि हरेक महिला को इकोनोमिक इन्डिपेन्डैंस चाहिए। जितने मेरे भाई बोले है उन्होने विलेज की इकोनोमी में लड़कियों को जाता है। अब हम ने यह देखना चहै कि कानून क्या हमें हरियाणा मे ंसूट करता है या नही। पीछे हमारे यहां दो बार चुनाव हो चुके है ओर उनके दौरान मुझे काफी घूमने का मौका मिला है। और मै ने इस बारें में देहाती शहरी और मर्द औरत से तबादला ख्यालात किया है। सब लोगों ने यही ख्याल जाहिर किया है कि भाई के साथ बहन को बराबर का जायदाद में हम देने का कोई फायदा नही पहुंचा है। इससे उनके रिश्तों में कशीदगी बढ़ी है, मुकदमें बाजी बढी है इसलिए भाई के साथबहनको हम नही मिलना चाहिए। पहले मै भी इस हक का था कि बहन हो भी हक मिलन चाहिए लेकिन जब मैने प्रैक्टीकली इस चीज को देखा है तो मुझ अपनी राये बदलनी पड़ी है क्योंकि इस कानून ` साथ हमारे लोग रिकनसाइल नही सकें और जब तक जनता किसी कानून के साथ रिकनाइसाइल न करें तातक यह कानून जनता पर ठोंसा नही जाना चाहिए। इसलिए मै समझता हूं कि इसें तरमीम होना जरूरी है क्योंकि इस कानून से हमारे प्रांत में बैचैनी है इस प्रस्ताव मे लिखा है कि लड़की को हक न मिले लेकिन आप देखेंगे कि न सिर्फ लड़की को बल्कि लड़की के लड़कों को भी कानून मे ंहक मिला हुआ है उस हक के बारें में इस प्रस्ताव मे ंकोइ गात नही है जिसका मतलब है कि इस प्रस्ताव की रूह से लड़की को भी हक नही मिलेगा मगर उसे लडत्रके को मिल जाएगा। फिर इससे दो स्मि की औरतों को

नुक्सान पहुंचेगा। अगर इसके मुताबिक तरमीम ऐक्ट मे ंकी जा ए तो अनमैरिड लड़की होगी उसे कोइ हक नही मिलेगा। इसी तरह डायवोर्सड औरतों के लिये मुश्किल हो जाएगी उसे न हसबैड के घर पर कुछ मिलेगा और पेरैट के घर पर उसे जायदाद में हक मिलेगा मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव में जिस शक्ल में यह पेश किय गया है काफी फलाज है इसलिए एक ऐक्सपर्टस की कमेटी बनाई जाए तो इन सारी बातों पर गौर करके सही शक्ल में यह प्रस्ताव बना कर लाए ओर फिर उसे पास करके मरकज़ी सरकार को भेजा जाए। जो अमैडमैट्स इसमे ंदी गई उनके बारे में मै कहनाचाहता हूं कि उनमें से एक में लिखा गया है कि ऐग्रीकल्चरल लैंड इसमें न आए। मै इस तरमीम से सहमन ही हूं कोइ आदमी एग्रीकल्चरल लैड भी ले सकता है ओर वह अरबन लैंड भी ले सकता है इसलिए जायदाद को बिना पर कोई डिसक्रमीनेशन ही होना चाहिए और सब के लिये एक जैसा कानून बनाना चाहिए। दूसरी तरमीम यह आई अै कि गैर शादी शुदा लड़की को बाम की जायदाद में हम मिलना चाहिऐ। इससे भी मै सहमत नही। अगर इस तरह का कानून बनेगा तो बहुत सारी लड़किया इस वजह से शादी नही करायेगी कि उनके शादी करते ही वह अपने बात की जायदार के हक से महरूम हो जाएंगी। वह इस बात का इन्तजार करती रहेगी कि उनका बाप मेरे ओर वह जायदार का हक लेकर शादी कराएं। इसलिए मै इन दोनो ंतरमीमों से सहमत नही लेकिन जो प्रस्ताव की स्प्रिट है उससे पूरी तरह सहमत हूं। इसलिए मै यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐक्सपर्ट

की कमेटी बना कर एक जामा प्रस्तावा हाउस में लाकर पास करके सैंटर को भेजा जाए तोकि जो बेचैनी लोगों में इ बरमे ंमे पई जाती है वह दूर हो सके।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली): स्पीकर साहिब, कांग्रेस बैचिज की तरफ से एक मैबर श्री रूप लाल मेहता की तरफ से एक ऐसा रैजोल्यूशन आया है जिसके लिए मुझे उनको ंमुबारिकबाद बाद देनी पडती है। इससे जाहिर होात है कि इ कानून के बारें में आम जनता के जजबात क्या है। ऐसा रैजोल्यूशन पहले भी कई बार हाउस मे पेश किया गया और सरकार ने भी इस मामले पर कई बार गौर किया और अब फिर वह मारे सामानेअ याहै साफ जाहिर है कि लोगों में इस कानून के खिलाफ बहुत हेजान है। पालियामैट ने एक हिन्दू कोड बिल बनाया जिससे यह सारी चीजें पैदा हुई हैं स्पीकर साहिब, आप भी अच्छी तरह जानते है कि आम लोग इस हिन्दू कोड बिल के बारें में कहे है कि यह तो हिन्दू कोड बिल है जोकि हिन्दू समाज को लगा दिया गया है और इस कोढ़ का अभी तक कोई इलाज नही हो पाया है।

स्पीकर साहिब, मुझे एक बहन के ख्यालात सुनकर बड़ी खुशी हुई ओर मै उनकी हकूकपसंदी की दाद देता हू। मै लाबी मै बैठा हुआ था और देख रहा था कि काफी डोरे डाले जा रहे थे। बहन ओमप्रभा जैन बार बार इनके गले मे हाथ डाल कर कह रही

थी कि इस रैजोल्युशन का समर्थन मत करना क्योंकि बहनां के हकूक मारे जायेगे। लेकिन मै समझता हूं कि इससे हमारे देश के देहातियों ओर किसानों को बहुत राहत मलगी। हिन्दूस्तान मे किसान देश की रीढ की हड्डी है जिसके ऊपर इस देश का सारा ढांचा चल रहा है। बहनों के हकूक के लिए पहले भी कोई रूकावट नही थी। हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट के इस कानून के होने के बावजूद भी जहां लड़किया को हक बनता है। वहां उसे मिलता है। भाईयों के साथ उनको हक मिल सकता है, बाप चाहे तो ज्यादा से ज्यादा हक दे सकता है। अगर भाई न हो तो भी लड़की को हक पहुंचता है, विडो को भी हक पहुंचता है। और बीबी का भी हक पहुंचता है। लेकिन हमारी सैन्टर की सरकार ने सैकुलररिज्म की आड़ में, देश के कांग्रेस के नेताओं ने हमारे समाज पर कुल्हाड़ी चलायी। उन्होने वर्षो से चली आ रही हमारी पुरानी संस्कृति को, पनम्परा को बरबारद करने की सोची। स्पीकर साहिब, मै आपकी विसातत से अर्ज करनाचाहता हूं कि इसके पीछे बड़ी गहरी साजिश है। यह बात उनके दिमाग में अचानक पैदा नही हुई। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम है कि हजारों वर्षो से हिन्दूस्तान, देहातों और किसानों की मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। लेकिन फिर भी उन्होने गलत परम्पराए चला कर इस बुनियाद को खोख्ला करने की कोशिश की। जिस वक्त यह सिस्टम बना तो बहुत शार मचाया गया, लोगो ंने बहुत बुरा महसूस किया लेकिन इन्होने एक ने सुनी और बहुत बूट मजोरिटी से यह पास हो गया। पास होने के बाद भी लोगों को चैन नही पड़ा और वे बराबर इसे

बदलवाने की कोशिश करते रहे लेकिन इन्होने कानून नही बदता। मजबूर होकर लोगों ने दूसरी किस्म के ढंग निकलाने शुरू कर दिए। जो पढ़ा लिखा तबका है वह इस कानून का मुकाबला करने लगा है। लोगों ने वसीयत करवानी शुरू कर दी। अगर कोई आदमी वसीयत करके छोड़ जात है कि मेरी जायदाद इस तरह से तक्सीम होगी तो लडत्रकी को कुछ नही मिलेगा। इसके आगे कानून बेकार हो जाता है। लेकिन जो देहातों के अनपढ़ लोग है उनको बड़ी तकलीफ होती है। उनके जमीन के पीछे झगड़े होते है। आप जातने हे कि हमारे समाज में लड़कियों की किस तरके से इज्जत होती हैं भई और बाप लड़की की शादी के लिए अपनी जायदाद बेचकर बन्दोबस्त करता है। शादी होने के बाद बच्चे पैदा होने तक ज्यादा से ज्यादा खर्च देते है। इस प्रकार लड़की की हर तरह से सहायता होती रहती है। ससुराल में लड़की की इज्जत जायदाद के पीछ नही होती बल्कि इस बात पर होती है कि उस बहन के कितने भाई है, उससे माये कितने जोरदार है और लड़की के साथ कितना प्यार करते है। इसलिए जिस लड़की की मायके में इज्जत होगी, उसकी ससुराल में भी इज्जत होगी। इसलि इन हालात में हमारे समाज में लड़की के लिए इतना जबरदस्त प्यार हो, अहतराम हो ओर इतनी बड़ी सोशल पोजीशन मिली हुई हो तो समाज के एक सैक्षन पर कानून के जरिए से हमला करना हिन्दूस्तान की जानता के साथ सब से बड़ा धकका है। बल्कि मै तो यहां तक कहता हूं कि हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट एक काला कानून है। स्पीकर साहिब, अगर हिन्दूस्तान एक सैकुलर स्टेट है, तो यह

जो हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट बनाया गया है यह हिन्दूओं और सिक्खों पर ही क्यो लागू होता है, दूसरे मजहब के लोगों पर क्यों लागू नही होता? असल मे ंबात यह है कि इनमे दूसरे मजबह के लोगों पर यह कानून लगाने की हिम्मत ही नही है। अगर एक सैकुलर स्टेट के अन्दर ऐसे कायदे कानून बनाये जाए ओर उसे कमजोर करने की सोची जाये तो मै समझता कि यह सैकुलरिजम ही नही है। आप दूसरी सोसायटियों के अन्दर देख रहे है कि कितनी कांसप्रेसी चल रही है। फैमिली प्लेनिग भी हिन्दू सोसायटियों के पैरों में कुल्हाड़ा मारने के लिए ही चलाई गई है, हिन्दूओं को कमजोर करने के लिए ही यह सब हथकडं रचे जा रहे है। इनकों समाज मे ंजो सैक्शन मजबूत दिखाई देता है उसे खत्म करने की खातिर, हमारे देष के बड़े बड़े लोग, जो अपने आपको ंनेता कहते है, अगर इस किस्म की साजिश करत`है` हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

स्पीकर साहिब, मुझे खुशी है कि यह रैजोल्यूशन कांग्रेस बैचिज की तरफ से आ रहा है। आप जातने है कि जमीन की खातिर लोगों में किस तरह मुकदमेंबाजी होती है। जब कोई बहन अपने बाप के मरने के बाद, अपनी जायदाद का हिस्सा लेने के लिए भाईयों पर दावा करती है तो उन पांच चार भाईयों के पास कोई चारा नही कि वह जायदाद का बंटवारा कैसे करे, भाईयों में बांटे या बहनों को दे। हमारे देश मे ज्यादातर लोगों का दारोमदार जमीन पर ही है। मुश्किल से गुजारा करते हैं

आपको अच्छी तरह पता है स्पीकर साहिाब, कि एक एक इंच जमीन के लिए कत्ल होते है, खून होते है, इसकी क्या वजह है? इस का कारण यह है कि लोगों के पास जमीन कम होती है, उन्हे पेट भर कर खाना नही मिलताहै। जब जमीन देने का सवाल आता हौ तो गोलियों चलती है, गले कटते है। यह समाज पर एक बहुत बड़ा बोझ है और इस बौझ को बढ़ाने के लिए यह कानून सब से ज्यादा रोल अदा करता है। भाई बहन को कहता है कि यह मेरी बहन ही नही है, यह तो गुण्डोंने उकसा कर मेरे मुकाबले में खड़ी कर दी है। लेकिन जब लड़की या लड़का पैदा होता है तो उनका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ नही होता क्योंकि बच्चा पैदा होने के कई महीने बाद बच्चे का नाम रखा जाता है, इसलिए भाई को यह कहना बड़ा आसान हो जाता है कि यह मेरी बहन ही नही हे। इस प्रकार हिन्दू सोसायटी मे यह एक काला धब्बा है। देहात की सोयायटी किस तरीके से बनी, यह आप अच्छी तरह से जातने है। एक देश के लोग होमाजिनियस सोसायटी बनाने के लिए एक जगह पर आ गये और इसी वासते देश में रिवाज और कानून चलते रहे है कि एक फैमिली को जमीन नही जायेगी। हक्कषुफा का जो यह कानून बना है उसक ढांचा बरबाद करने क`लिए उस कानून की प्रिएंप्शज्ञन दी है। अपने गांव के लोगों का ही जमीन का हक मिलना चाहिये, क्यंकि दूसरे गोत आदमी रहते हो ओर किसी कारण उस गांव मं डाका पड़ जाता है तो उसकी हिफाजत करने के लिये कोई नही जाता। उनकों एक दूसरे से प्रेम ही नही होता। देहातों मे खून की थिकैनस के कारण ही सोसायटियों

चलती हैं अगर किसी गांव मे पांच बूढे मर जाएं ओर उनकी बीस लड़किया हो तो गांव में बीस बोत हो जायेगे। इससे आप देखे कि उस गांव की क्या हालत होगी। तो मै यह अर्ज करूंगा कि हमें लफ्जों बहस में नही जाना चाहिये। मेरे बहुत से दोस्त जो कांग्रेस बैचिज पर बैठे हुए है वे भी इस प्रस्ताव की स्पिरिट से इत्तफाक रखते है। इस कानून में सूबा गवर्नमैट सैन्टर गवर्नमैंट की इजाजत से अपने आप अमैडमैट कर सकती है। संयुक्त दल गवर्नमैंट के टाइम मे इस मामल पर गौर किया गयाथा और हमने बड़े सोच विचार के साथ सैन्टर गवर्नमैंट को रिकमैड किया था कि हरियाणा राज्य को हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट इस इस प्रोविजन को अमेण्ड करने की इजाजत दी जाए। हमार होते हुए तो कोई उत्तर वहां से नही आया था अब आ गया हो तो पता नही लेकिन चवन साहिब की एक स्टेटमैंट हमने जरूर अखबार मे ंपढी थी शायद आपने भी पढ़ी होगी। उसमैं उन्होने कहा थाकि अगर स्टेट गवर्नमैंट इस कानून में तबदीली करना चाहे तो सैट्रल गवर्नमैट उसे रास्ते में कोई रूकावट नही डालेगी और उसे रिकमनडेशनज का मन्जूर कर लेगी। तो सैण्ट्रल को एप्रोच करे कि लड़कियों को हक दिए जाने वाले प्रोवीजन को यहां लागू नही यिका जाना चाहिये बल्कि उसके पति और ससुर की जायदाद में से हिस्सा दिलाने का कोइ तरीका निकाल लिया जाए। इस बात से कोई इन्कार नही कर सता कि यदि पति ओर ससुर की जायदाद मे से हम लड़की को हिस्सा दिलाएं तो उसका सोशल स्टेटस और किक्योरेटी बढ़ेगी ओर भाईयों के साथ जो बहन को प्रेम होता है वह भी कायम रहेगा।

तो मै अर्ज करूंगा कि सामने बैन्जि?चज पर बैठे हुए भाई बहन इस प्रस्ताव को टालने की कोशिश न करें क्यों कि आज हरियाणा की जनता इस बात की ओर निगा लगाए हुए है और श्री रूप लाल मेहता को तो फूलों से हार पडेगे अगर यह रजोल्यूशन पास करा कर पलवल के हलके में जाऐंगे। दया कृष्ण जी भी जानते है कि जनता की क्या आवाज है। शारदा जी भी उस सोसायटी से ताल्लुक रखती है। जिसमे झगड़े फसाद होत हैं अगर आज ये अपना हिस्सा लेने यू.पी. के अन्दर जाएंगी तो इनका किस तरीके से स्वागत होगा इकस भी उन्हे पता है। लेकिन बहन ओम प्रभा जी को इस बात का पता नही है उनके ऊपर इस कानून का असर नही पड़ता जैन सोसायटी क अन्दर अललाहिदा रिवाज है वे तो उन रिवाजों की पाबन्द है। उन्हे तो भाईयों का गिला सुनना है। न झगड़ा करने की जाना है और नही कही से कब्जा लेना है वे तो हमें ही मरवाना चाहती है। देखते है उनकेस क्या जवाब मिलता है। लेकिन जिन लोगों का इससे ताल्लुक है, जो इस आग में पड़े हेए ळै उनको मालूम है कि क्या होता है और क्या हुआ है। तो मै यही अर्ज करूंगा कि इस रैजोल्यूशन को इसकी पूरी अहमियत समझ कर आज इस हाउस को इत्तफका राय से पास कर देना चाहिये क्येंकि आज कांग्रेस बैचिज की तरफ से भी और आपोजीशन से भी इसे पूरा समथ्रन मिला है।, पिछली सरकार रिकमेनडेशन कर चुकी है। कि यह कानून हरियाणा में नही होना चाहिये। यह रैजोल्यूशन बड़ा ब्रौड सा है। इसमें किस ढंग से सरकार क्या ऐक्शन लेती है यह हम सरकार पर छोड़ दै है।

हमारा तो मकसद पूरा होना चाहिये वह चाहे यहां बिल लाए या पालियामैंट में इस बात को ले जाए। परन्तु मै समझता हूं कि यदि हमारी असैम्बलजी बिल पास कर दे तो पार्लियामैट में उसे ले जाने की जरूरत नही पड़ेगी बल्कि केवल सैट्रल गवर्नमैंट की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। इसमें भी कोई दिक्कत नही होगी क्योंकि सैट्रल गवर्नमैंट के होम मिनिस्टर साहिब का ब्यान आ चुका है कि उनाके कोई एतराज नही होगा अगर हमारी असम्बली तरमीम करना चाहे। ऐसी हालत में स्पीकर साहिब, सरकार को कोई आपत्ति नही हे। आपोजीशन के साथ है, जनता इस बात की मांग कर रही है, कांग्रेस मैम्बरान ज्यादातर इसके हक में है। इसलिए अन्त में फिर मेरी सरकार से अपील है कि वह इस प्रस्ताव को टालने या व्हिप देकर गिरवाने की कोशिश न करें बल्कि एक राय होकर आज इस रैजोल्यूशन को पास करे दे।

श्री चन्द्रावती (लोहारू): स्पीकर साहिब, श्री रूल लाल मेहता जी ने हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट तरमीम लाने के लिए जो रेजोल्यूशन पेश किया है, मै उसके प्रौज एंड कोन्ज दानों के बारें में कुछ कहना चाहती हूं। यह बात ठीक है कि यह ला बहुत डिफैक्टिव है क्योंकि पार्लियामैंट के ज्यादातर मैम्बर, जिन्होने इसे पास करवाया है, शहर की अपर–मिडल क्लास के मुक्तभोगी थे चाहे वे कांग्रेस जमात के ही थे या चाहे उनका मकसद वलफेयर आफ दी स्टेट भी था। शहर के अन्दर मिडल क्लास के यहां अगर

घर में से मर्द मर जाता है तो उसकी बेवा लड़कियों अनाथ हो जाती है और दूसरे भाई बंधु उनकी सारी की सारी जायदाद को हडप कर जाते है। यह चीज इस बिल को पास करने वाले ज्यादातर सदस्यों के दिमाग में थी। देहात के लोगों का दृष्टिकोण रखने के लिये या तो मैम्बर बहुत कम थे और या जो थे उनको समझ नही थी कि इस कानून का परिणाम क्या होगा हालाकि यह ऐक्ट 1956 में इन्फोर्स हुआ, फिर भी देहात के लोगों को इस का पता अभी तक भी नही है। अभी भी चुनाव में कई लोग कहे फिरते थे कि यदि मै चुनी गई तो लड़कियों के नाम जमीन करवा दूंगी। कितने इगनोरेटर है वे लोग। तो स्पीकर साहिब, इस ऐक्ट की डफिनीशन तो एक शब्द में आती है। कि ''हिन्दू सकसैशन ऐकट लीगेलाइजेशन आफ दी बिल है'' और शहर क मिडल क्लास के लोगों ने ऐक्ट को बनवाया जिस से कि देहात का समाज डिसइंटेग्रेट हो जाये बिना इस बात को ध्यान मे ंरखे हुए कि देहात मं इसका क्या परिणाम होगा। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी स्पीकर साहिब, अगर हमारा समाज इगनोरेट न हो तो उनके ऊपर भी इस कानून का असर नही पड़ सकता क्योंकि इस ऐक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई बाप या भाई एनसेसट्रल प्रोपर्टी जुए के अन्दर गंवा देता है, शराब के लिए बेच देता है तो लड़की किसी कोर्ट में चैलेन्ज नही कर सकती। यह हाानिकारक उन्ही के लिये है जो इगनोरैन्ट समा जै। नही तो यह ऐक्ट लड़कियों के लिये कोई फायदे का ऐक्ट नही है। यह मै मानती हूं कि शहर के उन लौगों ने इस बात को ध्यान मे ंनही

रखा कि गांव के इगनोरेंट लोग कितने ज्यादा मुकदमाबाजी में फंस जाएंगे। बहुत से लोग ता इसी इगनोरेंस की वज से आज मुकदमाबाजी में फंसे है। अगर वे इगनारेरेंट नही होते तो सिर्फ एक विल करके छुटटी पाई जा सकती थी। बाप अगर चाहे ता एक लडके के नम भी विल करके छुटटी पाई जा सकती थी। बाप अगर चाहे तो एक लड़के के विल कर सकता है। लेकिन एक गांव का आदमी इस चक्र में नही पडता । इउसे तहसील में आने में बड़ी दिक्कत होती है। उसे यह भी पता नही होता कि विल क्या होता है जबकि शहर के लोगों को पता भी कुछ जयादा होता है और नजदीक ही सब सहूलियतें प्राप्त होती है.....

देहात पुराने वक्त से बसे हुए है और उनमे आमतौर पर एक गोत के लोग बसे हुए है। और उनकी जा रिश्तेदारी है वे दूर दूर होती है। तो एक तरह से मै मानती भी हूं कि यह बात गलत है कि दूसरे लोग एक गोत के लोगों में आकर बसे तो अच्छा नही लगता अगर दामाद घर आ कर बसता है चाहे वह कितना ही प्यारा क्यों न हो लकिन गांवों के लोग उसकों अच्छी नजर से नही देखते। लेकिन यह कोई ठोस नही हुआ उस रिवाज को तोडने के लिए, उस बिल में तरमीम लाने के लिए पब्लिक ओपीनियन नही ली गयी। यह ऐक्ट नही है। इसकी तरमीम होना बहुत जरूरी है। और इसको भारत सरकार को करना चाहिये। सो ज्यादा न कहते हुए अगर वह रेजोल्यूशन पास हो तो इसमें दो तीन बातें जरूरी ऐड हो जानी चाहिय एक तो कुंवारी लड़की या

जो शादी नही करवाना चाहती हो वह अपने बाप की पैत्रिक जायदाद मैं उसी तरह से हिस्सेदारी रहनी चाहिये। जो जमीन का झगड़ा है वह एक तरहै से हल हो जागएा कि मैरिड जो लड़किया है उसको एग्रीकल्चर लैंड में एग्जैम्पट कर दिया जाये तो उससे किसानों को दिक्कल नही होगी। सो मै इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। जो हाउस में पेश किया गया है।

चौधरी सिंह मलिक (हसनगढ़): स्पीकर साहिब, हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट के बारें में जो प्रस्ताव मेरे साथी रूपलाल मेहता ने पेश किया है मै ने उसमे ंतरमीम पेश करनी है। स्पीकर साहिब 1956 से पहले पंजाब मे ंउस वक्त जब हरियाणा पंजाब का हिस्सा होता था। विरासत के दो किस्म के तरीके चलते थे। देहात में बसने वालों का जिनका गुजारा खेती पर था उनपर वारसत के लिये उनके रिवाज लागू होते थे बाकी जिनकी खेती गुजारानही था उन पर हिन्दू शास्त्र लागू होता था। लेकिन इस हिन्दू सक्सैशन एक्ट के पास होने के बाद विरासत का एक ही कानून बना दिया है चाहे उनका खेती का गुजारा हो, या न हो, चाहे वह शहर में बसता हो या गांव मे ंचाहे वह हिन्दू हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो सभी हिन्दू सक्सैक्शन के तहत आते है।

राव बीरेन्द्र सिहः चौधरी साहिब इस ऐक्ट में जैन लोग शायद नही आते है।

चौधरी माडू सिह मलिकः स्पीकर साहिब, मै आपकी विसातित से राव साहिब को बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को हिन्दू सक्सैशन ऐक्ट में लिया गया है उनमें जैन भी शामिल है मै वह धारा पढ़ कर सुनाता हूं।

“2 Application of Act.-(1) this act applies-

(a) to any person, who is a Hindu be religion in any of its forms or development including a Virshaiva, Lingayat or a follower of Brahmo, Prarthana or Arya Samaj,

(b) To any person who is Buddhist, Jaina or Sikh by religion and

*** *** *** *** *** ***

राव बीरेन्द्र सिंहः यह तो हिन्दुओं के लिए कोढ बन गया है।

चौधरी माड सिंह मलिकः राव साहिब ने हिन्दू कोड पर हमला किया किया। यह रेलेवेंट नही है। हिन्दू कोड में चार ऐक्ट

आते है जैसे कि हिन्दू मैरिज एक्ट, हिन्दू माइनोरटी एंड गाडियनशिप एक्ट एण्ड मेनटिनों, आदि।

तो स्पीकर सहिब जहां तक हिन्दू सक्सैक्शन ऐक्ट में तरमीम का सवाल है मै मानता हूं कि उसमे ंतरमीम होनी चाहिय। मरे दोस्त राव साहिब को इन बातें को इलम नही है जिससे देहातें ं जो नाराजगी है वह सिर्फ इसलिये ही नही है कि लड़की को जमीन चली जाती है। बल्कि इसमें और भी कमियों है जिसे जमीन की विरासत का फैसला ठीक रूप में नही होता है। जैसे कि सैक्शन आठ मे जो भी वरिसों की क्लास आती हैः

नम्बर एक क्लाज के अनुसार जो वारिस है उनमें लड़का, लड़की विधवा, माता, पोता, पोती आदि है। इन सब को बराबर हक मिलता है।

इसी प्रकार से क्लाजस दो में हकदार इस प्रकार है। पहले बाप आता है फिर पोती का लड़का और पोती की लड़की, उसे भाई, बहिन आते है। और उसे बाद दोहती के लड़के ओर लड़की को हक मिलता है। भाई का लड़का, लड़की बहिन का लड़का लड़की इनके बाद आते है ओर फिर बाबा, दादी, पिता का भाई, पिता की बहिन, नाना, नानी, मामा, मासी, इत्यादि इस प्रकार से तरतीब से आते है।

इस प्रकार आप देखते है कि भाई के लड़के और लड़की से पहले दोहते के लड़के और लड़की को हक मिलता है।

भाई और बहिन से पहले पोती के लड़के और लड़की को हक तक पहुंचता है जिससे आपस में बड़ा दुख पहुंचता है। फिर क्लास तीन मे ंएगनेट है अगर कोई व्यक्ति मर गया है ओर उसे कोई औलाद नही है तो उसके भाई या भाई के लड़के हकदार होते थे और तीन पीढ़ी तक यह चलता था परन्तु अब ऐसा नही होता है।

अब सैक्शन 25 लीजिए उनमे ंएक बड़ी अजीब बात है यदि एक आदमी की दो शादिया होती है और पहली औरत से उसके दो लड़कियां है ओर वह औरत 1956 से पूर्व मर जाती है फिर वह शादी कर लेता है दूसरी, और उससे भी बच्चे होते है, यदि वह व्यक्ति 1956 से पहले मर गया हो तो उसकी वारिस उसकी दूसरी बीबी बनती है ओर उसके मरने का हक का सवाल आत है तो पहली औरत के बच्चों केा कुछ नही मिलेगा।लेकिन 1956 से पहले दोनों के बच्चों को जायदाद बराबर तक्सीम होती थी। यह तो अन्याय है क्योंकि आखिर वे भी तो एक ही बाप की बेटियों है। फिर ऐसा क्यों होता है? सिर्फ लड़कियों को क्लाज एक से निकाल दने से मसले का हल नही होता।

राव बीरेन्द्र सिंहः अगर एग्रीकल्चर प्रापर्टी में से उनको हिस्सा न दिया जाये तो ठीक बात है न।

चौधरी माडू सिह मलिकः अगर ऐग्रीकल्चर प्रापर्टी में लड़कियों को हिस्सा न दिया जाये तो कुछ झगड़ा मिट सकता है। परन्तु जरई जमीन पर अगर अगर यह एक्ट लागू न हो तभी सारा झगड़ा मिट सकेगा।

सैक्शन 30 जो एक्ट का है वह विल के मुताल्लिक है। कस्टम के अनुसार कोई भी प्रोपराइटर अपनी जायदाद को गिफ्ट या विल के जरिये एलीनियेट नही कर सकता। इसलिए विल के प्रावीजन का एग्रीकल्चर को कोई फायदा नही है। जबकि वह एनसेस्ट्रल प्रापर्टी के मुताल्लिक विल नही कर सकता है।

सैक्शन 5 जो एकट का है उसके नीचे तीन किस्म की प्रापरटीज दी गई जिन पर यह एक्ट लागू नही हेाता। मेरा कहना है कि उसमें यह भी शामिल कर लिया जाये कि यह एग्रीकल्चर प्रोपर्टी पर लागू नही होगा।

पंजाब या हरियाणा में जितने भी खेाती करने वाले हैं, चाहे वह किसी मजहब के हैं वह रवायात को मानते हैं मगर यह एक्ट सिर्फ हिन्दुओं पर लागू कर दिया गया है। खान साहिब पर तो यह एक्ट लागू ही नहीं होता। वह क्यों बोलने के लिये उतावले हो रहे हैं।

जैसे राव साहिब ने कहा है, चौहान साहिब ने पार्लियामेंट में जब एक प्राइवेट मेम्बर का रैजोल्यूशन आया यह बात मानी थी कि अगर किसी स्टेट की असैम्बली यह पास कर दे

कि इस एक्ट में तरमीम होनी चाहिए तो सैंटर को कोई इतराज नहीं होगा।

मेरी अर्ज है कि मेरी तरमीम को मानते हुए इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाये।

Mr. Speaker: I wish to make an observation. It appears that there is general consensus that this dicussion should end and the resolution be put to the vote of the House. So the Hon. Members should try to stop this discussion at 12.50 p.m. Now there is time for only three debators.

Finance Minister (Smt. Om Prabha Jain): No, Sir. This is non-official resolution and as many Member like to speak, they must be allowed to speak. This is a very important matter and the Members shoul be given full opportunity to express their views.

Mr. Speaker: I do not mind it, if there is general consensus about it. Then we will have to extend the time.

राव बीरेन्द्र सिंहः टाइम बढ़ा सकते हैं। मगर इस रजील्यूशन को आज जरूर पास करवा दिया जाये।

खान अब्दुल गफ्फार खां (नग्गल): जनाब, स्पीकर साहिब, मैं इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत के लिये खड़ा हुआ हूं। कहा जाता है कि अगर हिन्दू सक्सेशन एक्ट को ऐसे ही रहने दिया जाये और उसमे तरमीम न की जाये तो बहन और भाई का प्यार नहीं रह सकता। यह बात मेरी समझ में नही आती। भाई

और बहन एक मां के पेट से पैदा होते हैं। अगर महज लालच की बिना पर भाई यह कहें कि अगर उन की बहन को जायदाद में हिस्सा मिलता है तो उस की बहन से दुश्मनी हो जायेगी, यह बात मेरी समझ में आने वाली नहीं है। अगर भाई और बहन का प्यार किसी लालच और जायदाद पर मबनी है तो वह कल नहीं तो परसों या तरसों यानि एक न एक दिन जरूर टूटेगा और उनमें दुश्मनी पैदा होगी। क्या हम आज कल जायदाद के मामले में भाई और भाई में झगड़ा नहीं देखते। क्या हम जायदाद के लिये एक भाई को दूसरे भाई को कत्ल करते नहीं सुनते। परसों ही मैंने अखबार में पढ़ा कि जायदाद के मामले पर एक भाई ने दूसरे भाई को मार डाला। बाप की जायदाद मिलने से भाई और बहन का खून खराबा हो सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों लोगों के सामने गलत बातें पेश की जाती हैं। यह कहा जाता है कि लड़की के बाप की जायदाद में हिस्सा लेने से भाई और बहन का प्यार खत्म हो जाता है। इसलिये लड़की को अपने ससुर की जायदाद में हिस्सा लेना चाहिये। अगर जायदाद के लिये भाई बहन को कत्ल कर सकता है तो कैसे कह सकते हैं कि लड़की जिस की शादी पचास कोस दूर होती है वह अपने ससुर के घर जो कई दफा उसके माइके से कोसों दूर होता है और यहां उस के अपने खून का कोई नहीं होता, महफूज हैं। अगर भाई बहन को जायदाद के मामले में कत्ल कर सकता है तो वह क्या अपनी बहू को कत्ल करने में दूर लगायेंगे।

चौधरी माडू सिंह ने कहा था कि मेरे पर इस एक्ट का असर नहीं पड़ता मैं बता दूं कि मैं पंजाब में और अब हरियाणे में रहता हूं।

श्री रूप लाल मेहता: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जब खान साहिब पर इस एक्ट का असर नहीं पड़ता तो यह इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं ?

खान अब्दुल गफ्फार खां: यह प्वायंट आफ आर्डर महज प्वांयट आफ आर्डर करने की बात है। वरना जब कोई चीज हाउस में आती है तो उस पर सब को बोलने का अधिकार है चाहे वह उस को सपोर्ट करें या उस की मुखालिफत।

Mr. Speaker: All the same he has got the right to speak.

राव बीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ इनफर्मेशन, सर। अगर हिन्दू सक्सेशन एक्ट अच्छा है तो क्या खान साहिब इसे मुसलमानों पा अप्लाई करने के लिये मान जायेंगे।

खान अब्दुल गफ्फार खां: मैं समझता हूं कि महज लालच की बिना पर हम लड़कियों को बाप की जायदाद में हिस्से से महरूम रखना चाहते हैं। (विघ्न) जितने भी मुसलमान हिन्दुस्तान में मा–सिवाय पंजाब के हैं वह रवायात के पाबन्द नहीं हैं। मगर हम पर लालच की बिना पर रवायात की पाबन्दी लगाई गई। अगर मेरी बहन दावा करें कि वह हिस्सा लेना चाहती है तो

मैं जाकर अदालत में कहता हूं कि कुरान की बात को मैं नहीं मानता बल्कि मैं तो रवायात की बात मानता हूं। अगर कोई लालच करता है तो कोर्ट में भी जाकर वह बात करेगा जिस में उस को फायदा होता हो। और कुरान की बात नहीं मानेगा हालांकि कुरान में यह लिखा है कि लालच करता है वह काफिर है। यह राव साहिब तो शायद जानते नहीं। यू.पी. में जो मुसलमान रहते है वहां पर मुस्लिम ला के मुताबित बेटी को, फूफी को, नातिन को जायदाद में हिस्सा मिलता ह। और आज की बात नहीं यह हमेशा से होता आ रहा है और कोई गलती नहीं हुई। और बहनों में तो यहां तक प्यार है कि बेशक बहनों के नाम जायदाद आती है लेकिन वे अपने भाइयों के नाम करा देती हैं।

स्पीकर साहिब, हिन्दु सक्सेशन ऐक्ट में एक प्रावीजन यह भी है कि अगर बाप नहीं चाहता अपनी बेटी को किसी वजह से जमीन देना वह वसीयत करके उस को महरूम कर सकता है। मगर मलिक साहिब ने एक नई बात कही है कि वह तो जद्दी जायदाद कहलाएगी बाप ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्यों ऐसे नुक्ते निकालते हो और बहनों के द्वारा बाप को और भाइयों को बददुआएं दिलवाना चाहते हो .....

श्री मंगल सैन: क्यों मगरमच्छ के आंसू बहाते हो।

खान अब्दुल गफार खां: जो मुसलमानों के ऊपर रायज करने के लिये पूछा गया। मैं तो कहता हूं कि यह उन के ऊपर

ला के मुताबिक पहले से ही लागू है। आप जो बेटी का दान करते हैं, बड़ी अजीब बात है। एक ही बाप और मां से लड़की और लड़का पैदा होते हैं। लेकिन लड़की की जब शादी करते हैं तो कहते हैं कि दान करते हैं और लड़के को कुछ नहीं ....

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, क्या एक आनरेबल मेम्बर किसी एक सोसाइटी के नियमों पर हमला कर सकता है और उसके सैंटीमेंट्स को ठेस पहुंचानें का हक रखता है ?

Mr. Speaker: I may assure Sh. Mangal Sein that the honourable Member (Khan Abdul Ghaffar Khan) does not mean any attack on any society.

खान अब्दुल गफार खां: मैं आखिर में यही अर्ज करता हूं कि जो रैजोल्यूशन है उस की मैं मुखलिफत करता हूं और यह अपनी राय देता हूं कि हिन्दू सक्सैशन एक्ट जैसा है वैसा ही रहना चाहिए।

Mr. Speaker: Before I allow any other Hon. Mmeber to speak I would like to know as to how many more Members want to participate in the disucussion on this resolution.

(At this time, many Members stood up in theri seats)

Mr. Speaker: It means that it will not be possible to conclude discussion on this resolution and it will have to go on.

Voices: Yes, yes.

Mr. Speaker: All right, the discussion will continue.

वित मंत्री (श्रीमति ओम प्रभा जैन): माननीय स्पीकर साहिब, आज एक बहुत अहम विषय पर चर्चा हो रही है। आज कोई पहली ही बार नहीं है बल्कि कई बार इस विषय को कुरेदा गया है। सन् 1960 में भी इसी प्रकार का रैजोल्यूशन आया था जिसके ऊपर बहुत इम्पार्टेंट कमेटी बनी थी जिसने विचार किया और नोट्स आफ डिसेंट भी आए। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई उसके बाद भी चर्चा चलता रहा। पिछले साल भी यहां इसी किस्म का रैजाल्यूशन लाया गया और उस पर भी पूरे दिन बहस हुई आज भी यह चर्चा कोई नई नहीं है। स्पीकर साहिब, मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस है कि जब भी इस विषय पर बहस होती है तो यह कहा जाता है कि ओमप्रभा जैन का तो ऐग्रीकल्चर लेंड से कोई सम्बन्ध नहीं है यह तो शहरी हैं और यह देहात के मसलों को नहीं समझतीं, यह जायज बात नहीं है अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि यह इफैक्ट किस को करता है। यह न तो राव साहिब को इफैक्ट करता है, न मेजर अमीर सिंह जी को इफैक्ट करता है मैं तो यहां तक समझती हूं कि बहनों के अलावा और कोई मेल मेम्बर इस पर बोलने का हक भी नहीं रखता यदि उनके तरीके से सोचा जाये तो .....

श्री रूप लाल मेहता: जनाब हाउस कब तक चलेगा ?

Mr. Speaker: As I have already observed, the discussion on this resolution is not likely to conclude today, and it will have to be resumed on the next non-official day. So, the resolution will continue.

(interruptions)

Mr. Speaker: No interruptions, please. The hon. Finance Minister may resume her speech.

वित मंत्री: खैर मेरे कहने का मतलब यह है कि हर एक मेम्बर जो जनता का नुमाइन्दा है उसे इस बात का हक है कि वह अपने विचार आजादी से प्रकट कर सके। हिन्दू सक्सेशन एक्ट पर कोई 40 साल से चर्चा चली आ रही है। जब पार्लियामेंट में यह बिल पेश हुआ तो वहां भी यह चर्चा आई कि लड़कियों को ससुराल में हक मिलना चाहिये लेकिन बहुत गम्भीर विचार करने के बाद यह एक्ट पास हुआ। अब हो सकता है कि किसी एक्ट के पास होने के बाद उस की इम्पलीमैटेशन में दिक्कतें आएं। अगर हम यहां कोई इस एक्ट में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उस में ऐसी प्रोपीजीशन आनी चाहिए कि जिसमें किसी का हम न मारा जाए।

यह रैजोल्यूशन आज जिस शक्ल में आया है और इस पर जो अमैडमेंट्स आई है मैं समझती हूं कि इस से किसी प्रकार का भी औरतों का भला नहीं बल्कि उनको जो कुछ मिला हुआ है वह भी उन के हाथों से चला जायेगा। स्पीकर साहिब हिन्दू सकसैशन एक्ट किन वजूहात की बिना पर बनाया गया और हमारा

जो सामाजिक वातावरण था औरतो के सम्बंध में, उस को सब जानते । यहां का जो पुराना सोशल स्ट्रक्चर था उस का ेदखते हुए इस बात की जरूरत महसूस की गई कि हिन्दुस्तान में कोई युनीफार्म कोड बिल लाया जाए जिससे समूचे हिन्दस्जान के हिन्दुओं के लिए एक जैसा सकसैशन एक्ट बनल सके। इसके इला09वा जैसे हमारे विधान में प्रोवीजन है कि और त और आदमी को बराबर के अधिकार मिलने चाहिइयं उसको भीा मदेनजर राते हुए हिन्दू कोड बिल के लाने कि जरूरत महसूस हुई है। हिन्दू कोड बिल के जरिये कुछ ऐसे हैर्ज की लिस्ट बनाई गई जिलका रिष्ता खून का हो न कि किसी दूसरी भावना के साथ। लड़की को अगर जायदाद में हक मिला तो वह इसलिये कि वह भीा अपने बाप का खून होतली है। इसी प्रकार जो सबसे बड़ी चीज जो इस हिन्दू कोड बिल के जरिये हुइर्अ वह यह थी कि औरत को पहली दफा हिन्दुस्तान में फुल और एबसोल्यूट हेयर माना गया। सन् 1937 में एक कानून पास हुआ था जिस के जरिये लिमअिड राइट औरत को मिला था, उसको एबसोल्यूट राइट देने के लिए यह हिन्दू सकसैषन एकट बना था। स्पीकर साहिब इस एक्ट के जरिए एक सामाजिक इन्कलाब हमारे देष में आया और जैसा कि आप जानते है कि जब भी कोई सोशल कानून बनाया जाए उसके बाद ट्रांजेकषन पीरयड में तकलीफें होती हैं जिसकी वजह से कुछ परेशानियों महसूस होतह है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है। यह तो महज कहने की बात है कि बहुत म

ुकदमें हो रहे हैं जहां तक मेरी इतलाह है 12 सालों कें अंद

सारी स्टेट में 800 मुकदमात लड़कियों के चले और इस के मुकाबले में आप अगर बाप और बेटों ओर भाई – भाई के मुदमों का नम्बर देखो तो वह बहुत ज्यादा है। मे। जजबात कीह बात नही करती लेकिन मैं एक बात कहती हू। यहां पर बहुत तरफ से तजवीज आई कि लडत्रकी को बाप की जायदपाद से हिस्सा मिलने की बजाए सुसराल की जायदार से हिस्सा मिले। लेकिन मै। समझती हॅू कि इससे बड़ी खराबी हो जाएगी। आप तो भाई बहन के प्यार की बातें करते हैं लेकिन जब औरत को इनलाज की जमीन में हिस्सा दिया जाएगा और वह उस जमीन को अपवनी जायज गजों के लिए इसतेमाल करने की कोषिश करेगी तो क्या पति और पत्नी के अंदर प्यार में फर्क नही आएगा, उनके फैमिली रिलेशन्ज में क्या खिचावट नही आएगी?

फिर स्पीकर साहिब, यह जो अमैंडमैट आई है कि अगर लडकी ने शादी न करवाई हो तो उसका बाप की जायदाद मं हिस्सा हो जाए और जिस वकत वह षादी करवा ले उस को सुसराल की जमीन से हिस्सा मिल जाए और बाप कीह जमीन जो है वह उसके भाईयों को चली जाए मेरी राए में इस के बहुत खतरनाक नतायज निकल सकते है। स्पीकर साहिब इनहैरीटेंसा का सवाल उस वक्त पैदा होता है जब फादर की डथ होती है। अगर एक लड़की कुवारी है और उसे बाप कीह डैथ के बाद जमीन का हक मिल जाता है तो क्या ऐसे इंस्टांसिज नहीं होंग बहिन की मर्जी के खिफ भाई उसकी किसी बुढे या अपाहिज के साथ

जबरदस्ती शादी कर दें ताकि बहन की जायदाद भाइदयों को मिल जाये। इसलिए यह तरमीम और रैजोल्यूशन अगर मान लिजये जायें तो औरतों के साथ बहुत भारी बेइन्साफी होगी। जैसे मे। पहले कह चुकि हूॅ कि इनहैरिटेंास का जो कानून है वह खून के रिष्ते की बिना पर है। अगर आज मैं चाहूॅ कि रावच साहिब की या मेजर साहिब कि जमीन से हिस्सा लेलू तो नहीं ले सकती , मैं सिर्फ अपने बाप की जमीन से हिस्सा ले कसती हू। अगर लडकी को ससुराल की जायदाद में से हिस्सा देने वालीइ बात मान लली जाए तो कया आप उम्मीद कर सकते हैं कि सुसराज 4में जहां कि उस का खुन का रिश्ता नही है उसकी लड़की के साथ क्या जायज सलूक होगा? स्पीकर साहिब, ससुराल में जिस तरीके से देवर, जेठ या सास का बहुओं से व्यवहार होता है वह किसी से छिपी हुई बात नहीहं है। ऐसे भी इन्सटांसिज हो सकते है कि डावोर्सग हो जाए तो डाइवोर्स्ड लेडी बाप की जायदइाद में से हिस्सा तो शादी करा के पहले ही खो बैठी, और ससुराल में उसे हक नहीं रहा क्योंकि उसके पति के यहां दूसरी बीबी आ गई । अगर बाप की जमीन में ही हक रहे तो लड़की को ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि बाप तो बाप ही है और बेटी बेटी ही हैक। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि मुझे फर्ज करो इनलाज की प्रापर्टी में हिस्सा मिल गया और मैनें इलेक्शन लड़ लिया और उस प्रापर्टी को खत्म कर दिया, बाद में मेरी डैथर हो जाती है तो उस सूरत में जब आदमी की दूसरी षादी हों तो उसे कहां से प्रापर्टी मिलेगी। इसलिये यह कोई छोटी मोटी बात नही है। इसमें बहुत सोचने विचारने की

बातें है। जैसे मैंने पहले कहा है कि एक लडकी चाहे कहीं है, चाहे अनमैंरिड है, चाहे डाइवोर्सड हैं, वह बाप की लड़की ही है।

A daughter is always a daughtr. She xcan necer be rep[laxed. When a man dies he knows how many daughters he has got. But when a father-inlaw dies and succession opens it cannot be known as to how many daughters-in-law will come in the hous. His son may marry twice or thrice afther the death of first of the second wife.

एक डाटर –इन–ला का फेट चेंज हो सकता है। मान लिजिये एक डाटर–इन–ला ने प्रापर्टी बेच दी तो दूसरी अगर आयेगी तो उसका क्या होगा । तो इतनी क्म्पलीकेशन्ज है इस में कि इससे दिक्कतें ही पेश आयेगी और समस्या को हम सुलझा नहीं सकेंगे। मैंस्पीकर साहिब, कहती हू कि जो इन है रिटैन्स का जो कानून है इसमें A man follows the Property . It does not mean that the property will foloow a man. लेकिन जो आप कानून बनायेंगे इस में “Property will follow the man”It means sp long as a daughter is unmarried,property is hers but if she is married it passes on to her brotherइसलिये इस में बहुत सी डिफिकल्टीज नजर आतीह है। मैं मानती हू कि एग्रीकल्चरल लैंड के सिलसिलें में खास तरीके से अपोर्जीशन हैऔर उस की बुनियाद ँगमैंटेशन आफ होल्डिगं में ज्यादा समझती हॅ। सैंन्टीमेंटल बात मे। नही कहती , अगर भ्पााई और बहन कै ज्यार का ख्याल है तो कानून बदलने में से हस्बैंड ओर वाईफ के डिफेंस भी हो

सकते है। (The hon. Finance Minister was still on her legs when the House adjourned.)

Mr. Speaker – Order, please. The House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

(The Sabha then adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 26th July, 1968)

Annexure

(Please see foot-note at page 23) of the debate dated 25th July, 1968 Vol. I – No. 8

From

Sh. P.N. Sahni, I.A.S.,

Director, Food and Supplies and

Joint Secretary to Government,

Haryana.

To

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Dated Chandigarh, the 22nd August, 1968

Subject:- Starred Assembly Question No. 23 by Sh. Mangal Sein, M.L.A., regarding Maize Scandal Supplementary thereof.

Sir,

I am directed to invite your attention o the subject cited above and to say that during question hour on 25th July, 1968, after the P.W.M. had given his reply to the above

Starred Question, a supplementary question was asked by Sh. Mangal Sein, M.L.A., desiring to know the date on which the enquiry was stared by C.B.I. in the matter and the names of persons against whom the cases stood registered with the Government Railway Police. As the information was not readily available, the P.W.M. could not answer the supplementary question there and then. The required information has now been received from the office of the D.I.G., C.I.D., Haryana, and is given as under:-

(1) Date of enquiry by C.B.I. – 7th November, 1967.

(2) Following firms are involved in the four cases which stand registered with the Government Railway Police, Haryana:-

(i) Case FIR No. 44, dated 28th June, 1968 under section 7/10/55, Essential Commodities Act, G.R.P.S. Karnal:

1. M/s Rattan Lal Jai Lal Subash Mandi.
2. M/s Dulat Ram – Ram Krishan, Kurukshetra.
3. M/s Kali Ram – Jagdish Chander, Kurukshetra.
4. M/s Chela Ram – Ratti Ram, Kurukshetra.
5. M/s Thaneshwar Co-operative Society.
6. M/s Lachmi Narain – Rjainder Prashad.
7. M/s Data Ram – Ratti Ram, Kurukshetra.

8. M/s Sant Lal – Mam Chand, Kurukshetra.

9. M/s Ishwar Dyal Bansal & Sons, Kurukshetra.

10. M/s Shambhu Ram – Sat Narain, Kurukshetra.

11. M/s Bhagat Ram – Yog Dhian, Kurukshetra.

12. M/s Dharam Vir –Ram Sarup, Kurukshetra.

13. M/s Kapoor Chand – Lajja Ram, Kurukshetra.

14. M/s Madan Lal – Kastoori Lal, Kurukshetra.

15. M/s Lajja Ram – Jai Kishan Dass, Kurukshetra.

16. M/s Bal Kishan Dass – Raj, Kishan, Kurukshetra.

17. M/s Moti Ram – Rameshwar Dass, Kurukshetra.

18. M/s Sat Pal – Rakesh Kumar, Kurukshetra.

19. M/s Mirzapur Farm.

20. Ch. Randhir Singh, Kurukshetra.

21. M/s Arjan Dass – Ved Parkash, Pipli.

22. M/s Sunder Singh – Jamait Singh, Kurukshetra.

23. M/s Amar Lal – Bishanmber Lal, Kurukshetra.

24. M/s Ramji Dass – Ashok Kumar, Kurukshetra.

25. M/s Ratu Ram – Ishan Kumar, Pipli.

26. M/s Inder Ram – Rameshwar Dass, Pipli.

27. M/s Sudner Lal – Om Parkash, Kurukshetra.

28. M/s Ram Kumar – Jai Pal, Kurukshetra.

29. M/s Raja Ram – Babu Ram Ladwa.

30. M/s Om Parkash – Rajinder Pal, Kurukshetra.

31. M/s Prabhu Dayal – Banwari Lal, Ladwa.

32. M/s Amar Nath, Dharam Chand, Kurukshetra.

33. M/s Ram Prashad – Gita Ram, Kurukshetra.

34. M/s Rama Rice Mills, Kurukshetra.

35. M/s Paras Ram – Devi Sarup, Radaur.

(ii) Case F.I.R. No. 43, dated 18th June, 1968, under section 7/10/55, E.C. Act, G.R. Ps, Karnal.

1. M/s Prem Chand – Raghbir Singh of Kaithal.

2. M/s Satish Kumar – Balwant Rai, Kaithal.

3. M/s Ramji Lal – Lalu Ram, Kaithal.

4. M/s Ram Sarup – Raghu Nath Sahai, Kaithal.

5. M/s Devi Dayal – Khazan Mal, Kaithal.

6. M/s Lekh Raj – Chandgi Ram, Kaithal.

7. M/s Devi Ditta Mal – Bhagwan Dass, Kaithal.

8. M/s Daya Ram – Mangat Ram, Kaithal.

9. M/s Amar Nath – Raj Bhadur, Kaithal.

10. M/s Sant Lal – Shankar Lal, Kaithal.

11. M/s Matto Ram – Kishan Lal, Kaithal.

12. M/s Mastan Chand – Kukam Chand, Kaithal.

13. M/s Hari Chand – Jit Ram, Kaithal.

(iii) Case F.I.R. No. 45 dated 18th June, 1968, under section 7/10/55, E.C. Act, G.R.Ps. Karnal.

1. M/s Ram Sarup Gupta, Gharaunda.

2. M/s Devi Chand Gupta, Gharaunda.

3. M/s Joti Ram – Sunder Lal, Gharaunda.

(iv) Case F.I.R. No. 45, dated 19th June, 1968 under section 7/10/55 E.C. Act, G.R.P.S. Jind.

1. M/s Anant Ram – Maleri Ram, Safidon.

2. M/s Shiv Lal – Rattan Lal, Safidon.

Yours faithfully,

(Sd.)

Deputy Director General,

For Director, Food and Supplies,

Haryana